रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

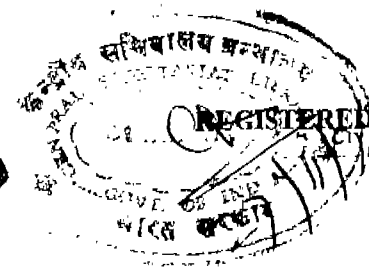

सचिवालय ग्रन्थागार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39 नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1992 (आश्विन 4, 1914)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1992 (ASVINA 4, 1914)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	753
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1013
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	13
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1665
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	969
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस .	1157
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3283
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	151
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	753
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1013
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	13
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1665
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ·	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India (of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . .	969
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1157
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3283
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ·	151
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .	*

Folio Nos. not Received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1992

सं० 108-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री सत्य नारायण साहा,
नायक,
127वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 19 जनवरी, 1991 को करीब 14.30 बजे चीनी मिल, ज़ीरा स्थित सीमा सुरक्षा बल की 127वी बटालियन की "बी" कम्पनी को ज़ीरा के पुलिस अधीक्षक द्वारा गांव निहालके थाना मारू जिला फिरोजपुर के निकट संयुक्त छानबीन/तलाशी अभियान चलाने के लिए बुलाया गया । कम्पनी जैसे ही अभियान चलाने के स्थान के निकट पहुंची तो सीमा सुरक्षा बल के दल पर दो फार्म हाउसों से भीषण गोलीबारी होनी आरम्भ हो गई । नायक सत्य नारायण साहा उनमें से एक तलाशी दल का सदस्य था । फार्म हाउस के प्रवेश द्वार के निकट पहुंचने के उद्देश्य से और सामने की ओर से हो रही तीव्र गोलीबारी के बावजूद, नायक साहा उनमें से एक आतंकवादी को बड़ी हिम्मत के साथ पार करने में सफल हो गए जो अपनी स्वचालित राइफल से तलाशी दल पर अत्याधिक गोलीबारी कर रहा था । गोलीबारी की उग्रता इतनी अधिक थी कि पूरे खोजी दल को जमीन पर मोर्चा लेना पड़ा । उग्रवादियों की गोलीबारी को निष्प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न दिशाओं में तीन हल्की मशीनगन लगाई गई ताकि बढ़ते हुए तलाशी दल को रक्षक गोलीबारी प्रदान की जा सके ।

अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना नायक साहा उग्रवादी पर झपटे और उससे उसकी राइफल छीन लेने के इरादे से उन्होंने राइफल की बैरल को कस कर पकड़ लिया जिसके कारण नायक साहा की दोनों हथेलियों में घाव हो गए । छीना-झपटी के दौरान नायक साहा को उनके बाएं हाथ में कोहनी के ऊपर एक गोली लगने से घाव हो गया । तेजी से खून बहने और हाथों में खरोंचें लगने के बावजूद भी नायक साहा ने उग्रवादी के गुप्तांग पर अपने जूते की एड़ी से चोट की और उससे ए० के० 47 राइफल छीन ली । एक उप-निरीक्षक, जो तलाशी दल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोलीबारी कर रहा था, ने उस आतंकवादी को घटना-स्थल पर मार डाला ।

नायक साहा जो मुठभेड़ के दौरान घायल हो चुका था, फार्म हाउस के अन्दर फंस गया था, जिसे अन्य तलाशी दलों द्वारा बाहर लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे हस्पताल ले जाया गया ।

इसी बीच निहालके गांव के समीप जाड़े का व्यायाम करते हुए सैनिकों के एक समूह पर एक अन्य उग्रवादी दल ने गोलीबारी की । सैनिकों द्वारा जवाब में गोलीबारी की गई । तत्पश्चात् ज़ीरा के पुलिस अधीक्षक पुलिस दल सहित वहां भी पहुंच गए । 2.30 बजे (अपराह्न) तक दोनों ओर से गोलियां चलनी जारी रहीं । उसके बाद इलाके की तलाशी ली गई तथा आठ उग्रवादियों के शव बरामद हुए । गोलीबारी के आदान-प्रदान के दौरान एक 12 वर्षीय बालिका भी मारी गई । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री सत्य नारायण साहा, नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 जनवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 109-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री महावीर ओरांव,
कांस्टेबल,
26वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

25 अगस्त, 1991 को सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस कार्मिकों द्वारा संगरूर-पटरन रोड पर गांव खेरी के नजदीक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र फार्म के क्षेत्र में एक संयुक्त घेराबन्दी और तलाशी अभियान चलाया गया । अनुसंधान केन्द्र कार्यालय परिसर और रिहायशी मकान लगभग 50 एकड़ भूमि में लगी गन्ने, मक्का, कपास और अरहर इत्यादि की ऊंची फसलों से घिरे हुए थे । इस प्रकार यह आतंकवादियों के छिपने के लिए बहुत उत्तम स्थान था । पुलिस प्राधिकारियों को संदेह था कि यह फार्म आतंकवादियों के एक गिरोह का छिपने का अड्डा है, जिन्होंने मनमानी हत्याएं करके इस क्षेत्र में आतंक फैलाया हुआ था ।

तलाशी अभियान 5 बजे शुरू हुआ । कार्यालय परिसर की तलाशी पूरी हो जाने के बाद सीमा सुरक्षा बल का दल रिहायशी मकानों की बिल्कुल एक किनारे से तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा । जब दल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिहायशी मकानों के नजदीक पहुंचा तो उन पर एक मकान से स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की गयी । तथापि बल द्वारा बहुत निपुणता से कार्य करने के परिणामस्वरूप कोई भी जख्मी नहीं हुआ । दल ने तत्काल मकान को घेर लिया और मोर्चा संभाला । इसी बीच उग्रवादी मकान के पिछवाड़े की खिड़की से कूद कर पास के गन्ने के खेत में भाग निकले । दल ने 6 आतंकवादियों को गन्ने के खेत में भागते हुए देखा । खेत की एक तरफ से सीमा सुरक्षा बल ने और दूसरी तरफ से पुलिस दल ने घेर लिया । आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और 'गोली चलाओ और भागो' की रणनीति अपना कर गन्ने के दूसरे खेत में भागने की कोशिश करने लगे । सीमा सुरक्षा बल ने भारी गोलीबारी करके आतंकवादियों को उलझाया और उन्हें गन्ने के उसी खेत में रहने पर मजबूर कर दिया । चूंकि वहां कोई आड़ नहीं थी इसलिए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को खुले मैदान में मोर्चा संभालना पड़ा । कांस्टेबल महावीर ओरांव ने गन्ने के खेतों के बीच की पगडण्डी में मोर्चा संभाला ताकि गोलीबारी और निगरानी की दृष्टि से वे उस क्षेत्र को काबू में रख सकें तथा आतंकवादियों को अन्य खेतों में जाने से रोक सकें । कांस्टेबल ओरांव गन्ने के खेतों में और पगडण्डी के साथ-साथ गोली चलाते रहे और उन्होंने आतंकवादियों को उसी खेत में रहने पर मजबूर कर दिया । दोनों तरफ से हो रही इस भयंकर गोलीबारी के दौरान आतंकवादी द्वारा चलायी गयी एक गोली कांस्टेबल ओरांव के स्टील हेलमेट को पार करती हुई उनके सिर पर लगी । गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद श्री ओरांव आतंकवादियों पर गोली चलाते रहे और एक आतंकवादी को जख्मी करने में कामयाब हो गए जिसकी बाद में काफी खून बहने से मृत्यु हो गयी । यह आतंकवादी दूसरे खेत में जाने की कोशिश कर रहा था । श्री ओरांव आतंकवादियों पर गोली चलाते रहे । उन्हें अन्य खेतों में भाग निकलने से रोका । उसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल संगरूर ले जाया गया ।

इसी बीच वायरलैस से जिला मुख्यालय को कुमुक भेजने के लिए संदेश भेजा गया । कुछ समय बाद घटना-स्थल पर कुमुक पहुंच गई और घेरे-बंदी को और मजबूत किया गया । दोनों तरफ से तीन घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी होती रही । इस मुठभेड़ में कुल मिलाकर 6 आतंकवादी मारे गए । उनमें से बाद में पांच की शिनाख्त बलबीर सिंह उर्फ बाबा, गुरजा सिंह, अमरीक सिंह, पियारा सिंह, सिंगारा सिंह, करमजीत सिंह के रूप में की गयी । तथापि उनमें से एक की शिनाख्त नहीं की जा सकी । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से एक ए० के० 47 राइफल, एक 7.62 एम० एम० एस० एल० आर०, दो .315 बोर की राइफलें, एक .401 राइफल, दो .38 बोर की रिवाल्वर और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री महावीर सिंह ओरांव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 अगस्त, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 110-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री प्रमोद कुमार,
सहायक कमांडेंट,
143वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

6 अगस्त, 1991 को बुधलादा के पुलिस प्राधिकारियों ने सीमा सुरक्षा बल 143वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री प्रमोद कुमार को सूचित किया कि उनकी कम्पनी की पुलिस थाना बोहा के गांव सैदवाला में उग्रवादियों की आपराधिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए तत्काल आवश्यकता है । बिना कोई समय खोए श्री प्रमोद कुमार अपने दल सहित तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुए । वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उग्रवादी एक मकान में छिपे हुए हैं । श्री प्रमोद कुमार ने स्थिति का जायजा

लिया और उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए एक युक्तिपूर्ण कार्य योजना बनाई । चूंकि मकान पर घेरा डाला जा रहा था इसलिए उग्रवादियों ने उक्त मकान से गोली चलानी शुरू कर दी । पुलिस/सी० सु० ब० के कार्मिकों ने अपने बचाव में जवाबी गोली चलाई ।

श्री प्रमोद कुमार गोलीबारी के दौरान रेंगते हुए मकान की ओर गए तथा उन्होंने हथगोले फैंके । इस पर उग्रवादी अगले कमरे में चले गए जोकि स्टोर रूम था । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री प्रमोद कुमार मकान की छत पर चढ़ गए और उसमें से रास्ता बनाने के लिए उन्होंने दीवार के एक भाग को तोड़ना शुरू कर दिया । यह देखते हुए कि श्री प्रमोद कुमार खतरे का सामना बड़ी बहादुरी से कर रहे हैं उनके दल के कार्मिक आगे बढ़े तथा छत पर चढ़ गए । उन्होंने दीवार के एक हिस्से को तोड़ गिराया तथा उसमें कुछ सुराख बनाए । जब श्री प्रमोद कुमार एक सुराख से हथगोला फैंक रहे थे तो उग्रवादियों ने उस सुराख से गोलियों की एक बौछार की और एक गोली से श्री प्रमोद कुमार का दायां हाथ आंशिक रूप से जख्मी हो गया । घायल होने के बावजूद उन्होंने हथगोले फैंकना जारी रखा जिसके कारण स्टोर रूम के अन्दर विस्फोट हुए । पूरा कमरा धुएं से भर गया। और अधिकारी केवल उग्रवादियों की चिल्लाहट सुन रहे थे । श्री प्रमोद कुमार के साहसी कार्य को देखने के बाद अन्य इकाई के आदमियों ने भी हथगोले फैंके और स्टोर रूम के अन्दर आक्रामक से गोलियां चलाई । कुछ समय के बाद उग्रवादियों की ओर से गोली चलनी बन्द हो गई । तलाशी के दौरान उग्रवादियों के दो शव बरामद हुए जिनकी बाद में गुरमेज सिंह उर्फ गेंजा तथा सतनाम सिंह के रूप में शिनाख्त की गई । तलाशी के दौरान मुठभेड़ वाले स्थान से एक ए० के० 56 राइफल, एक ए० के० 74 राइफल, एक .12 बोर डी० बी० बी० एल कट बैरल गन, एक .12 बोर गन बट ग्रुप तथा बड़ी मात्रा में सक्रिय/खाली कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री प्रमोद कुमार, सहायक कमांडेंट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अगस्त, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 111-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री गुरमीत सिंह (मरणोपरान्त)
लांस नायक,
132वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26 मई, 1991 को लगभग 13.15 बजे सीमा सुरक्षा बल की 124वीं बटालियन का एक गश्ती दल कूपवाड़ा-कालारश रोड पर उग्रवादियों द्वारा लगाई गई घात में फंस गया । घात वाले स्थान पर दोनों ओर से खड़ी पहाड़ी थी जिसमें घना जंगल था । इससे आतंकवादियों को सामरिक के बेहतर स्थान का फायदा मिला । घात में आठ जवान घायल हुए । चूंकि सीमा सुरक्षा बल की 124वीं बटालियन की मुख्यालय बटालियन घात वाले स्थान से बहुत दूर थी, इसलिए 132वीं बटालियन की मुख्यालय बटालियन को कुमुक भेजने के लिए अनुरोध किया गया ।

लगभग 14.00 बजे 132वीं बटालियन की एक कम्पनी के साथ (लांस नायक गुरमीत सिंह सहित) यूनिट चिकित्सा अधिकारी सुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुए । जब यह दल घात लगाने के स्थान के नजदीक पहुंचा तो उन पर भी आतंकवादियों ने भारी गोली-बारी शुरू कर दी । ये आतंकवादी घात स्थल की ओर जाने वाली रोड पर पहले से छिपे हुए थे । इस प्रकार निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों से उग्रवादियों को बाहर निकालना आवश्यक हो गया था ।

लांस नायक गुरमीत सिंह को कहा गया कि वे अपनी कमान वाली टुकड़ी के साथ निकटवर्ती पहाड़ी से उग्रवादियों का सफाया करें । यद्यपि उग्रवादी पहाड़ी की चोटी पर सामरिक महत्व की लाभप्रद स्थिति संभाले हुए थे तथा उनकी ओर आ रहे सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, परन्तु अपनी जान को निश्चित खतरा महसूस होते हुए भी लांस नायक गुरमीत सिंह ने अनुकरणीय साहस और असमान्य प्रकार का नेतृत्व दिखाया । वे अपने आदमियों को आगे की ओर ले गए तथा स्वयं उग्रवादियों की ओर बढ़कर उन्होंने अपने कार्मिकों की सहायता की । उग्रवादियों पर गोली चलाते हुए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ती रही । उग्रवादियों के भारी गोली बारी करने के बावजूद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर उग्रवादियो को ललकारते हुए लांस नायक गुरमीत सिंह अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े । उन्होंने अपने आदमियों को प्रेरणा दी तथा उन्हें अंतिम क्षण तक डटे रहने के लिए साहस दिलाया ।

इस कार्यवाही में उनकी टुकड़ी के तीन जवान जख्मी हो गए तथा सीने में गोली लगने से वे स्वयं भी जख्मी हो गए । अपने जख्मी होने की परवाह न करते हुए उग्रवादियों से लगातार मिल रही धमकी के कारण लांस नायक

गुरमीत सिंह ने धैर्य बनाए रखा तथा उच्च कोटि की असाधारण कर्तव्यपरायणता दिखाकर अपने आदमियों को उग्रवादियों पर हमला करने के लिए साहस दिलाया । इस प्रक्रिया में जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई तथा उग्रवादियों से मुकाबला करने में उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके द्वारा किए गए प्रयास बेकार नहीं गए, सीमा सुरक्षा बल के दृढ़ निश्चय को देखकर उग्रवादी भाग गए और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने पहाड़ी पर अपना दबदबा बनाए रखा जो उस क्षेत्र में उग्रवाद को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था ।

इस मुठभेड़ में श्री गुरमीत सिंह, लांस नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 112-प्रेज/92—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री नरिन्दर पाल सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
तरन तारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2-9-1991 को लगभग 12.20 बजे अपराह्न पुलिस वर्दी में लगभग 10 उग्रवादियों का एक दल गांव लाहुका, थाना पट्टी के कामरेड गुरनाम सिंह के घर पर आया । उग्रवादियों ने कहा कि वे पुलिस स्टेशन भिखीविन्ड से कामरेड गुरनाम सिंह के सशस्त्र गार्डों द्वारा रखे गए शस्त्रों और गोला-बारूद का निरीक्षण करने आए हैं । उन्होंने गार्डों से उनकी राइफलें और गोला-बारूद और वाकी-टाकी सेट ले लिए । शस्त्र और गोलाबारूद लेने के बाद उग्रवादियों ने कामरेड स्वर्ण सिंह का अपहरण कर लिया और भाग गए ।

इस घटना के बाद गार्डों ने तत्काल श्री सुखदेव सिंह बरार, पुलिस उप-अधीक्षक, पट्टी को सूचित किया। वे तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे । वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि उग्रवादी बंदी को साथ लेकर गांव जौरा की तरफ चले गये हैं । श्री बरार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन तारन, नजदीक के पुलिस स्टेशनों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकियों को संदेश भेजे । श्री बरार ने विभिन्न पुलिस दलों को तैनात करके सभी दिशाओं से गांव जौरा को घेर लिया । उसके बाद उन्हें सूचना मिली कि उग्रवादियों को गांव दियाल राजपूतान की तरफ जाते हुए देखा गया । तद्नुसार श्री बरार ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वायरलैस से संदेश भेजा और तेजी से गांव दियाल राजपूतान की ओर बढ़े । पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहनों को गति-विधियां देखते हुए उग्रवादियों ने अपने वाहन छोड़ दिए और नजदीक के गन्ने के खेतों में मोर्चा सम्भाला ।

इस समय तक, श्री नरिन्द्र पाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन तारन बल के साथ वहां पहुंचे और अभियान का नेतृत्व किया । जब तलाशी ली जा रही थी तो गन्ने के खेतों में छिपे आतंकवादियों ने पुलिस दलों पर गोलियां चलाईं । पुलिस बलों ने भी जवाब में गोलियां चलाईं । श्री एन० पी० सिंह के निर्देशों पर गन्ने के खेतों में हथगोले फैंके गए । श्री खुदी राम, पुलिस अधीक्षक आपरेशन तरन तारन ने स्वयं गन्ने के खेतों में हथगोले फैंके । हथगोलों के दवाब और पुलिस दलों द्वारा भारी गोलीबारी के कारण उग्रवादी अपहृत कामरेड स्वर्ण सिंह को पकड़े नहीं रख सके । अवसर पाकर कामरेड स्वर्ण सिंह गन्ने के खेतों से बाहर आ गए और सुरक्षा बलों के सामने प्रस्तुत हो गए । इस प्रकार से श्री खुदी राम नुकसान पहुंचाए बिना अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने में कामयाब हो गए । कामरेड स्वर्ण सिंह ने खेतों में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी । आतंकवादी पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे । पुलिस दलों ने जबाब में प्रभावी ढंग से गोलीबारी की । गोलीबारी 7.30 बजे अपराह्न तक होती रही । उसके बाद श्री एन० पी० सिंह ने बढ़ते हुए अंधेरे को देखते हुए तथा जीवन हानि से बचने के लिए तलाशी बंद करने और घेराबंदी सख्त करने का निर्णय लिया ।

3-9-1991 को लगभग 3.45 बजे अपराह्न फंसे हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश में सुरक्षा कार्मिकों की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलायीं, जो नहर की तरफ से घेरा डाले हुए थे । उग्रवादियों ने अपने आपको 3-4 ग्रुपों में विभाजित किया । एक उग्रवादी भागने की भरसक कोशिश में, पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाता रहा ताकि घेराबन्दी टूट जाए, लेकिन निरीक्षक सूबा सिंह ने बहुत ही निपुणता से उसे मार डाला ।

3-9-1991 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न श्री एन० पी० सिंह के निदेश और पर्यवेक्षण में पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया । श्री एन० पी० सिंह ने अपने गनमैनों के साथ स्वयं इस तलाशी अभियान का नेतृत्व किया और स्वयं इस मोर्चे में आगे थे । इससे पूरे बल का मनोबल बढ़ा और वे इस युद्ध जैसी स्थिति में पूरे उत्साह और शक्ति से स्वतः ही कूद पड़े । इस प्रक्रिया में धान के एक खेत को साफ किया गया क्योंकि वहां कोई विरोध

नहीं था । जब पास के धान के खेत की उत्तर पश्चिमी किनारे से तलाशी की जा रही थी तो उग्रवादियों ने श्री एन० पी० सिंह के नेतृत्व वाले पर गोलियां चलाई इस गोलाबारी में कांस्टेबल जसबीर सिंह, जो श्री एन० जी० सिंह के साथ-साथ आगे बढ़ रहे थे का बायां कन्धा गोली लगने से जख्मी हो गया । श्री एन० के० सिंह गोली लगने से बाल-बाल बचे, इसके बावजूद वे बल का नेतृत्व करते रहे । श्री सिंह ने पूरी सूझबूझ और पिछले अनुभव के आधार पर अपने शस्त्र से उस दिशा में गोली चलाई उनके द्वारा चलाई गई गोली उग्रवादी को लगी, जो मरते समय चिल्लाया । इसी बीच श्री एन० पी० सिंह को दूसरे उग्रवादी की गतिविधियां दिखाई दी, उन्होंने उस दिशा में गोली चलाई और दूसरे उग्रवादी को मार डाला । उसके बाद धान के दूसरे खेत को साफ करने में कोई विरोध नहीं हुआ । उसके बाद तलाशी अभियान बंद कर दिया गया और संदिग्ध क्षेत्र के चारों तरफ पुनः सख्त घेरा डाला गया और 24 घंटे से अधिक समय तक चले इस गम्भीर और गहन अभियान में पुलिस कार्मिक बिना भोजन के रहे ।

अगले दिन प्रातः अर्थात्, 4 सितम्बर, 1991 को गन्ने और धान के खेतों में पुनः तलाशी शुरू की गई । श्री खूबी राम, पुलिस अधीक्षक (प्रजालन के नेतृत्व वाले खोजबीन दल पर, जिसमें श्री परम दीप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, और गोविन्द तथा अन्य शामिल थे, उग्रवादियों ने गोलियां चलाई । वे जमीन पर लेटकर खिसकते हुए आगे बढ़े । अंततः वे एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए । उसके बाद, तीन दलों ने, जिनका नेतृत्व क्रमशः उप निरीक्षक राम नाथ, श्री एस० एस० बरार, पुलिस उप-अधीक्षक श्री खूबी राम कर रहे थे, उस दिशा में बढ़ना शुरू किया जहां से उग्रवादी गोलियां चला रहे थे । गन्ने के खेतों में छिपे हुए उग्रवादियों को संभावित स्थिति का पता लगाने के बाद, सर्व श्री राम नाथ, सुखदेव सिंह बरार और खूबीराम रेंगते हुए, उनके छिपने के स्थान की तरफ बढ़े और वे तीनों एक-एक उग्रवादी को मारने में कामयाब हुए ।

उग्रवादियों के खिलाफ 51 घन्टे लम्बे इस अभियान में, कुल सात उग्रवादी मारे गए, जिनमें से बाद में गांव की शिनाख्त (1) सतनाम सिंह उर्फ सन्ता (2) अवतार सिंह ऊर्फ बिल्ला (3) दिलबाग सिंह (4) मेजर सिंह उर्फ घुक और (5) सुखबिन्दर सिंह उर्फ काला के रूप में की गई । खोजबीन के दौरान मुठभेड़ के स्थान से एक एस० एल० आर०, एक 7.62 बोर की राईफल, .303 की 8 राईफलें, एक बाकी टाकी सैट और बड़ी मात्रा में खाली/सक्रिय कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री नरेन्दर पाल सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणत का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी सिफारिश 2 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 113-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री सूबा सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
एस० एच० ओ०,
थाना सदाला ।

श्री जसबीर सिंह,
कांस्टेबल,
प्रथम कमान्डो बटालियन,
पी० ए० सी० ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

2 सितम्बर, 1991 को लगभग 12.20 बजे अपराह्न पुलिस वर्दी में लगभग 10 उग्रवादियों का एक दल गांव लाहुका, थाना पट्टी के कामरेड गुरनाम सिंह के घर पर आया । उग्रवादियों ने कहा कि वे पुलिस स्टेशन भिखीविन्ड से कामरेड गुरनाम सिंह के सशस्त्र गार्डों द्वारा रखे गये शस्त्रों और गोलाबारूद का निरीक्षण करने आए हैं । उन्होंने गार्डों से उनकी राईफलें और गोलाबारूद और बाकी-टाकी सेट ले लिए । शस्त्र और गोलाबारूद लेने के बाद उग्रवादियों ने कामरेड स्वर्ण सिंह का अपहरण कर लिया और भाग गए ।

इस घटना के बाद गार्डों ने तत्काल श्री सुखदेव सिंह बशर, पुलिस उप-अधीक्षक, पट्टी को सूचित किया । वे तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे । वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उग्रवादी बंदी को साथ लेकर गाँव जौरा की तरफ चले गए हैं । श्री बरार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन-तारन नजदीक के पुलिस स्टेशनों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकियों को संदेश भेजे । श्री बरार ने विभिन्न पुलिस दलों को तैनात करके सभी दिशाओं से गांव जौरा को घेर लिया । उसके बाद उन्हें सूचना मिली कि उग्रवादियों को गांव दियाल राजपुतान की तरफ जाते हुए देखा गया । तदनुसार श्री बशर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वायरलेस से संदेश भेजा और तेजी से गांव दियाल राजपुताना की ओर बढ़े । पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहनों की गतिविधियाँ रखते हुए उग्रवादियों ने अपने वाहन छोड़ दिये और नजदीक के गन्ने के खेतों में मोर्चा सम्भाला ।

इस समय तक श्री नरिन्दर पाल सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तरन-तारन दल के साथ वहां पहुंचे और अभियान का नेतृत्व किया। जब तलाशी ली जा रही थी तो गन्ने के खेतों में छिपे आतंकवादियों ने पुलिस दलों पर गोलियां चलाई। पुलिस दलों ने भी जवाब में गोलियां चलाई। श्री एन० पी० सिंह के निर्देशों पर गन्ने के खेतों में हथगोले फैंके गए। श्री खुशी राम पुलिस अधीक्षक आपरेशन तरन-तारन ने स्वयं गन्ने के खेतों में हथगोले फैंके। हथगोलों के दबाव और पुलिस दलों द्वारा भारी गोलीबारी के कारण उग्रवादी अपहृत कामरेड स्वर्ण सिंह को पकड़े नहीं रख सके। अवसर पाकर कामरेड स्वर्ण सिंह गन्ने के खेतों से बाहर आ गए और सुरक्षा बलों के सामने प्रस्तुत हो गए। इस प्रकार से श्री खुशी राम नुकसान पहुंचाए बिना अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने में कामयाब हो गए। कामरेड स्वर्ण सिंह ने खेतों में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी। आतंकवादी पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। पुलिस बलों ने जवाब में प्रभावी ढंग से गोलीबारी की। गोलीबारी 7.30 बजे अपराह्न तक होती रही। उसके बाद श्री एन० पी० सिंह ने बढ़ते हुए अंधेरे को देखते हुए तथा जीवन हानि से बचने के लिए तलाशी बन्द करने और घेराबंदी सख्त करने का निर्णय लिया।

3-9-1991 को लगभग 3.45 बजे अपराह्न फंसे हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश में सुरक्षा कार्मिकों की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाई, जो नहर की तरफ से घेरा डाले हुए थे। उग्रवादियों ने अपने आपको 3-4 ग्रुपों में विभाजित किया। एक उग्रवादी भागने की भरसक कोशिश में, पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाता रहा ताकि घेराबन्दी टूट जाए, लेकिन निरीक्षक सूबा सिंह ने बहुत निपुणता से उसे मार डाला।

3-9-1991 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न श्री एन० पी० सिंह के निदेश और पर्यवेक्षण में पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। श्री एन० पी० सिंह ने अपने जवानों के साथ स्वयं इस तलाशी अभियान का नेतृत्व किया और स्वयं इस मोर्चे में आगे थे। इससे पूरे दल का मनोबल बढ़ा और वे इस युद्ध जैसी स्थिति में पूरे उत्साह और शक्ति से स्वतः ही कूद पड़े। इस प्रक्रिया में धान के एक खेत को साफ किया गया क्योंकि वहां कोई विरोध नहीं था। जब पास के धान के खेत को उत्तर पश्चिमी किनारे से तलाशी की जा रही थी तो उग्रवादियों ने श्री एन० पी० सिंह के नेतृत्व वाले दल पर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में कांस्टेबल जसबीर सिंह श्री एन० पी० सिंह के साथ-साथ आगे बढ़ रहे थे का बांया कन्धा गोली लगने से जख्मी हो गया। श्री एन० पी० सिंह गोली लगने से बाल-बाल बचे, इसके बावजूद वे दल का नेतृत्व करते रहे। श्री सिंह ने पूरी सूझ बूझ और पिछले अनुभव के आधार पर अपने शस्त्र से उस दिशा में गोली चलायी। उनके द्वारा चलाई गई गोली उग्रवादी को लगी जो मरते समय चिल्लाया। इसी बीच श्री एन० पी० सिंह को दूसरे उग्रवादी की गतिविधिया दिखाई दी, उन्होंने उस दिशा में गोली चलाई और दूसरे उग्रवादी को मार डाला। उसके बाद धान के दूसरे खेत को साफ करने में कोई विरोध नहीं हुआ। उसके बाद तलाशी अभियान बन्द कर दिया गया और संदिग्ध क्षेत्र के चारों तरफ पुनः सख्त घेरा डाला गया और 24 घंटे से अधिक समय तक चले इस गम्भीर और गहन अभियान में पुलिस कार्मिक बिना भोजन के रहे।

अगले दिन प्रातः अर्थात 4-9-1991 को गन्ने और धान के खेतों में पुनः तलाशी शुरू की गई। श्री खुशी राम पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) के नेतृत्व वाले खोजबीन दल पर, जिसमें श्री परमदीप सिंह पुलिस उप-अधीक्षक और गोविन्द तथा अन्य शामिल थे, उग्रवादियों ने गोलियां चलायी। वे जमीन पर लेटकर खिसकते हुए आगे बढ़े। अंततः वे एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए। उसके आसपास दलों ने जिनका नेतृत्व क्रमशः उप निरीक्षक रामनाथ, श्री एस० एस० बरार, पुलिस उप-अधीक्षक श्री खुशी राम कर रहे थे। गन्ने के उस दिशा में बढ़ना शुरू किया जहां से उग्रवादी गोलियां चला रहे थे। गन्ने के खेतों में छिपे हुए उग्रवादियों को संभावित स्थिति का पता लगाने के बाद सर्वश्री राम नाथ, मुखदेव सिंह बरार और खुशीराम रेंगते हुए उनके छिपने के स्थान की तरफ बढ़े और वे तीनों एक-एक उग्रवादी को मारने में कामयाब हुए।

उग्रवादियों के खिलाफ 51 घंटे लम्बे इस अभियान में कुल सात उग्रवादी मारे गए जिनमें से बाद में गांव की गिनाख्त (1) सतनाम सिंह उर्फ सन्ता (2) अवतार सिंह उर्फ बिल्ला (3) दिलबाग सिंह (4) मेजर सिंह उर्फ घुक और (5) सुखविन्दर सिंह उर्फ काला के रूप में की गई। खोजबीन के दौरान मुठभेड़ के स्थान से एक एस० एल० आर०, एक 7.62 बोर की राईफल, .303 की 8 राईफलें एक बाकी टाको सैट और बड़ी मात्रा में खाली सक्रिय कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री सूबा सिंह पुलिस निरीक्षक और जसबीर सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2-9-1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 114-प्रेस/92—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :
श्री ए० के० मित्तल,
पुलिस उप-अधीक्षक,
बटाला।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

25 नवम्बर, 1991 को श्री अरुण कुमार मित्तल, पुलिस उप-अधीक्षक एक पुलिस दल के साथ क्षेत्र में तलाशी तथा छानबीन का कार्य कर रहे थे तो उन्हें सूचना मिली कि अन्तर्राष्ट्रीय गोरिल्ला फोर्स से संबंधित आतंकवादियों का एक ग्रुप गन्ध सफेदा के पेड़ों के बीच में, जो कलानौर पंचायत के थे, छिपा हुआ है। डेरा बाबा नानक के पुलिस उप-अधीक्षक को संयुक्त अभियान के लिए तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचने हेतु सूचित किया गया।

श्री मित्तल अपने दल के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। ज्योंहि पुलिस दल संदिग्ध छिपने के स्थान के नजदीक पहुंचा तो आतंकवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों से उन पर गोली चलाई। पुलिस दल ने आत्म रक्षा में तुरन्त गोली का जवाब गोली से दिया। आतंकवादी दृढ़ बने हुए थे, उन्होंने अपने मोर्चे में परिवर्तन किया और पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। एक आतंकवादी ने निशाना लगाया और श्री मित्तल पर गोली चला दी परन्तु सौभाग्यवश वे बाल-बाल बच गए। श्री मित्तल अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर भाग रहे आतंकवादियों का पीछा किया। अन्य आतंकवादियों ने भी श्री मित्तल द्वारा छिपने के स्थान के नजदीक पहुंचने के प्रयास को विफल करने की भरसक कोशिश की तथा उन पर गोली चलाई। श्री मित्तल ने भाग रहे आतंकवादी पर बड़ी निपुणता से गोली चलाई और उसे मार दिया गिराया।

इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बटाला अपने बल सहित घटना स्थल पर पहुंचे। घेरे को और मजबूत बनाया गया बचकर भागने के सभी संभव रास्तों को बन्द कर दिया। एक भीषण मुठभेड़ हुई जो 1.30 बजे अपराह्न तक चली। उसके बाद आतंकवादियों की ओर से गोली चलनी बन्द हो गई। तलाशी के दौरान आतंकवादियों के पांच शव बरामद हुए, जिनकी बाद में गुरनाम सिंह उर्फ बिल्ला, रणधीर सिंह उर्फ धीरा, वीर सिंह, जसवीर सिंह तथा बलजीत सिंह के रूप में शिनाख्त की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ वाले स्थान से बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोला बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री ए० के० मित्तल, पुलिस उप-अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 नवम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 115—प्रेज 92—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरिन्दर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
एस० एच० ओ०,
थाना सिरहाली।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 अप्रैल, 1990 को परिचालन कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 33वीं बटालियन की सभी कंपनियां छापा मारने/तलाशी लेने की ड्यूटियों पर थी। लगभग 0800 बजे जब वे फेलोके गांव से जा रहे थे तो उन्होंने शान सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाउस की तलाशी लेने का निर्णय लिया। जब वे फार्म हाउस के नजदीक पहुंचे तो वहां छिपे आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोली-बारी की। उन्होंने तुरन्त यूनिट मुख्यालय तथा पुलिस स्टेशनों को कुमुक भेजने के लिए सूचित किया।

उप-निरीक्षक सुरिन्दर सिंह, एस० एच० ओ० पुलिस स्टेशन सिरहाली अपने दल के साथ तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा। परन्तु उग्रवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस दलों पर भारी गोली-बारी जारी रखी। कमरे से अनुकूल स्थितियों से गोलियां चल रहीं थीं। इस स्थिति को देखते हुए श्री सुरिन्दर सिंह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मिकों के साथ कमरे के ठीक सामने की ओर उस स्थान पर मोर्चा संभाला जहां से भारी गोली-बारी चल रही थी।

गोलियां प्रभावकारी साबित नहीं हो रही थी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो कार्मिक कमरे की छत पर चढ़ गए उन्होंने वहां सुराख बनाए और वहां से कमरे में हथ-गोले फैंके। इसके परिणामस्वरूप कमरे के अन्दर इकट्ठे किए हुए चारे में आग लग गई और वहां छिपे हुए तीन उग्रवादी घटनास्थल पर ही जलकर मर गए।

इसी बीच लगभग 4–5 आतंकवादियों ने दूसरी ओर से पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्री सुरिन्दर सिंह अपने मार्गरक्षी दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के साथ तुरन्त उस स्थान की ओर बढ़े जहां से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और उन्होंने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री सुरिन्दर सिंह दक्षिण-पूर्व से उग्रवादियों की ओर बढ़े, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक दूसरी दिशाओं से आगे बढ़े। पुलिस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को देखने के बाद भी आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से सभी दिशाओं से गोलियां चलाते रहे। उप-निरीक्षक, सुरिन्दर सिंह उन उग्रवादियों के अति निकट आए जो पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर गोलियां

चला रहे थे, उन्होंने उग्रवादियों पर हथगोले फेंके और अपने आदमियों को राइफल ग्रिनेड चलाने के लिए कहा। उप-निरीक्षक सुरिन्दर सिंह को आगे बढ़ता हुआ देखकर 2–3 उग्रवादी गेहूं के खेतों की तरफ भागे और भागते हुए उन्होंने पीछा कर रहे पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलानी जारी रखीं। उप-निरीक्षक सुरिन्दर सिंह ने भाग रहे उग्रवादियों का पीछा करना तथा उन पर गोली चलाना जारी रखा, इसके परिणामस्वरूप दो आतंकवादी मारे गए। लगभग छः घंटे तक मुठभेड़ हुई, इसके परिणामस्वरूप 6 उग्रवादी मारे गए, उनमें से एक का शव उग्रवादी लेकर भाग गए। तलाशी के दौरान मुठभेड़ वाले स्थान से बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोला-बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री सुरिन्दर सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट, वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अप्रैल 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 116–प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री तेजिन्दर सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
थाना प्रभारी,
थाना अजनाला

श्री थामन सिंह,
हेड कांस्टेबल,
अजनाला।

श्री गुरजीत सिंह,
एल० सी०/थाना प्रभारी के बंदूकधारी,
थाना अजनाला।

सेनाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 17 नवम्बर, 1990 को गुप्त सूचना प्राप्त होने पर अन्य पुलिस कर्मियों को (हैड कांस्टेबल थामन सिंह और लांस कांस्टेबल गुरजीत सिंह सहित) समेत निरीक्षक तेजिन्दर सिंह ने अर्ध-सैनिक बलों को साथ लेकर सविन्दर सिंह, गांव गौरी नांगल के सरपंच के फार्म हाउस, जहां खूंखार आतंकवादी छिपे हुए थे, पर छापा मारा। वहां पहुंचने पर श्री तेजिन्दर सिंह ने स्थिति का आकलन किया और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने को ललकारा, परन्तु आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी करना आरम्भ कर दिया। पुलिस कार्मिकों ने तुरन्त मोर्चे संभाले और आत्मसुरक्षा में गोली चलाई। नियंत्रण कक्ष, मजीठा को भी वायरलैस के द्वारा कुमुक भेजने के लिए संदेश भेज दिया गया।

कुछ समय बाद कुमुक वहां पहुंची गयी। उसके बाद पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों को दो दलों में विभाजित कर दिया गया। सर्वश्री थामन सिंह और गुरजीत सिंह और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी सहित निरीक्षक तेजिन्दर सिंह ने फार्म हाउस में प्रवेश किया। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने फार्म हाउस को घेर लिया। जैसे ही पुलिस बल रेंगता हुआ फार्म हाउस में घुसा तो उन पर स्वचालित हथियारों से आतंकवादियों द्वारा भीषण गोलीबारी की गई। इस पर, निरीक्षक तेजिन्दर सिंह ने प्रवेश द्वार के सामने की ओर से एक हथगोला फैंका। जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों की ओर से होने वाली गोलीबारी धीमी हो गई, और उसके बाद उन्होंने और हथगोले फैंके तथा अन्य पुलिस कार्मिकों ने अपने हथियारों से गोली बारी शुरू कर दी। हेड-कांस्टेबल थामन सिंह और लांस कांस्टेबल गुरमीत सिंह ने भी फार्म हाउस में हथगोले फैंके। दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान, सर्वश्री तेजिन्दर सिंह, थामन सिंह और गुरमीत सिंह गोली लगने से घायल हो गए तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के हेड-कांस्टेबल समीउल्लाह खान मारे गए। प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक जवाबी गोलीबारी होती रही। उसके बाद आतंकवादियों की ओर से गोली चलना रुक गया। निरीक्षक तेजिन्दर सिंह के नेतृत्व वाला दल तब फार्म हाउस के कमरों में घुसा और उसने उग्रवादियों के छः शव बरामद किए जिन्हें बाद में सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा, कुलदीप सिंह उर्फ कीपा, नरिन्दर सिंह उर्फ टोटी, सेवा सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह उर्फ सोना के रूप में पहचाना गया। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का कांस्टेबल/ड्राईवर एम० के० बर्की भी मारा गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री तेजिन्दर सिंह, पुलिस निरीक्षक, थामन सिंह, हैड-कांस्टेबल और गुरजीत सिंह, थाना प्रभारी के लांस-कांस्टेबल/बन्दूकधारी ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 नवम्बर, 1990 से दिये जाएंगे।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 1992

सं० 117-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बचन सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला मोगा ।

श्री बिशन दास, (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक,
जिला मोगा ।

श्री पूरन सिंह,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक (मरणोपरान्त)
जिला मोगा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17 मई, 1991 को श्री बचन सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, मोगा को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार उग्रवादी गुरचरन सिंह उर्फ चन्ना अपने साथियों सहित पुलिस स्टेशन-सदर कोतकपुरा स्थित गांव ओलख के समपूरन सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में छिपा हुआ है । इन अपराधियों ने वहां शरण ली हुई थी और अपराध करने से पहले और बाद में उक्त मकान में शस्त्र तथा गोला-बारूद रखते थे । श्री बचन सिंह ने छापा मारने के लिए एक पुलिस दल संगठित किया जिसमें निरीक्षक बिशन दास, एस० एच० ओ०, पुलिस स्टेशन बाघापुराना, सहायक उप-निरीक्षक पूरन सिंह सहित पुलिस/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक शामिल थे । उन्होंने जिला मुख्यालयों को भी सूचित किया ।

उसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने मकान पर घेरा डाला और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा । परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । पुलिस दल ने आत्म रक्षा में जवाबी गोलीबारी की । सर्वश्री बचन सिंह, बिशन दास तथा पूरन सिंह ने अन्यों के साथ अपनी जिन्दगी की परवाह किए बगैर मकान में घुसकर उग्रवादियों को दबोचने के लिए साहसिक कदम उठाया । परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी और इस कार्यवाही में सर्वश्री बचन सिंह, बिशन दास तथा पूरन सिंह तथा अन्य गोली लगने से जख्मी हो गए । इस पर पुलिस दलों ने घर में हथगोले फैंके । उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोलियां चलनी रुक गईं । उसके बाद मकान की तलाशी ली गई, भीतरी भाग से खूंखार उग्रवादी गुरचरन सिंह उर्फ चन्ना का शव बरामद हुआ। तलाशी के दौरान मुठभेड़ वाले स्थान से मैगजीन सहित एक ए० के० 47 राइफल, 15 खोल, ड्रम मैगजीन सहित एक जी० पी० एम० जी०, 15 सक्रिय कारतूस, 35 राउण्ड सहित .303 राइफल बरामद हुए ।

घायल हुए व्यक्तियों में से उप-निरीक्षक पूरन सिंह, की उसी दिन मृत्यु हो गई जबकि निरीक्षक बिशन दास की जख्मों के कारण दूसरे दिन मृत्यु हो गई ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री बचन सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, बिशन दास, पुलिस निरीक्षक तथा पूरन सिंह, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

नई दिल्ली दिनांक 12 सितम्बर 1992

सं० 118-प्रेज/92—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक बार प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बी० एस० सिद्धू
पुलिस अधीक्षक
बांदा ।

डा० तहसीलदार सिंह
पुलिस उपाधीक्षक
बांदा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 मार्च 1990 को करीब 4.00 बजे अपराह्न गाव हुस्ताम पुलिस थाना बिसंडा में किसी चांगा नाई के घर में 7-8 डकैतों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त होने पर श्री बी०एस० सिद्धू पुलिस अधीक्षक ने डा० तहसीलदार सिंह पुलिस उपाधीक्षक को यह निर्देश दिया कि वे उपलब्ध पुलिस बल को एकत्रित कर डकैतों की घेराबन्दी करें और मोर्चा लें । बिना समय गवाए समूचा पुलिस बल करीब 4.35 बजे अपराह्न खुराहन्द सीमा-चौकी पर पहुंचा । तब पुलिस अधीक्षक ने भेदिए से और गांव वालों से गिरोह के बारे में पूछा जिन्होंने बताया कि केशव सिंह के घर पर अपराध करने के इरादे से गिरोह गांव के बाहर स्थित नाले की ओर चला गया है ।

पूरे पुलिस बल को पांच टुकड़ियों में बांटा गया जिनमें से पहली टुकड़ी का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक दूसरी का बांदा के पुलिस उपाधीक्षक और तीसरी का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक कोतवाली के द्वारा किया जा रहा था । इसी प्रकार से चौथी पांचवीं टुकड़ी को क्रमशः रिजर्व पुलिस के उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के अधीन रखा गया । पुलिस कर्मियों को मुठभेड़ की रणनीति के बारे में और समस्त योजना के बारे में जानकारी देने के बाद सभी टुकड़ियों से 6.30 बजे सायं तक अपनी-अपनी पोजीशन ले लेने और गिरोह के आने का इंतजार करने के लिए कहा गया । करीब 7.00 बजे सायं को पुलिस की बर्दी में 7-8 डकैत केशव सिंह के घर पर पहुंचे और दरवाजा खोलने के लिए कहा । कोई उत्तर न मिलने पर एक डकैत चिल्लाया कि यह बुद्धसेन का गिरोह है और यदि दरवाजा नहीं खोला गया तो घर में आग लगाकर घर में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला जाएगा इस पर बांदा के पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धू ने डकैतों को चेतावनी दी कि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेरा हुआ है और उन्हें हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए । डकैतों ने पहली टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी करके इस चेतावनी का जवाब दिया और पुलिस को चेतावनी दी कि वह वापस चले जाएं नहीं तो मारे जाएंगे । यह गोलीबारी पुलिस अधीक्षक को निशाना बनाकर की गई थी लेकिन सौभाग्य से वे सुरक्षित बच गए । फिर श्री सिद्धू ने सभी पुलिस दलों को सावधान किया और निर्देश दिया कि डकैत घेरेबन्दी से बचकर न निकल जाएं । विभिन्न पुलिस दलों द्वारा भी डकैतों को अपने हथियार डाल देने के लिए चेतावनी दी गई । अपने आपको पुलिस द्वारा पूरी तरह घिरा गया जानकर डकैत कई टुकड़ियों में बंट गए और अंधाधुंध गोली चलाने लगे । डकैतों की ओर से भारी गोलीबारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस को और कुमुक मंगाने के लिए संदेश भेजा । डकैतों ने पुलिस अधीक्षक की आवाज से अनुमान लगाकर उन पर फिर से गोली चलाई लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से बच गए और उन्होंने पलटकर गोली चलाई । जब दोनों ओर से गोली-बारी जारी थी तो 43वीं बटालियन पी० ए० सी० के कांस्टेबल जयराम सिंह ने अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की चिन्ता न करते हुए बेहतर पोजीशन लेने की कोशिश की और डकैतों पर गोली चलाई जिसके जवाब में डकैतों ने टुकड़ी संख्या 5 पर गोलियां चलाईं । इसी बीच प्लाटून कमां-डर ने पुलिस अधीक्षक को चिल्लाकर बताया कि कांस्टेबल जयराम सिंह को गोली लग गई है । चूंकि पुलिस अधीक्षक जबाबी गोलीबारी में सक्रिय रूप से शामिल थे इसलिए उन्होंने प्लाटून कमांडर को आदेश दिया कि वह घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाए । उन्होंने ध्वनि विस्तारक पर सभी पुलिस टुकड़ियों को यह निर्देश भी दिया कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डकैतों पर दबाव बढ़ाएं । अब तक डकैत दबाव में आ गए थे और उन्होंने और जोर से लगातार गोलीबारी शुरू कर दी थी ।

तब तक पी० ए० सी० की 43वी बटालियन के कांस्टेबल सदाशिव यादव ने कांस्टेबल जयराम सिंह का स्थान ले लिया था । डकैतों ने पुलिस टुकड़ी संख्या 1 की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और पुलिस की गोलीबारी के परिणामस्वरूप एक डकैत गिर गया । पुलिस अधीक्षक और उनके दल को भारी खतरा होने की बात भांपते हुए पुलिस उपाधीक्षक ने तुरन्त ही दरवाजा खोल दिया और गोलीबारी प्रारम्भ कर दी । गोलीबारी के दौरान एक डकैत को गोली लगी और वह गिर गया । बाद में डकैतों की ताजा स्थिति जानने के लिए गोलीबारी रुक गई । अचानक ही पुलिस उपाधीक्षक पर डकैतों द्वारा गोली चलाई गई लेकिन तेजी से स्थान बदल लेने के कारण बच गए । इसी बीच पुलिस अधीक्षक और एक पुलिस उपनिरीक्षक केशव सिंह के घर की छत के पूर्वी कोने तक सरक कर पहुंच गए और पुलिस अधीक्षक ने उन्मूलन के लिए बी० एल० पी० फायरिंग का आदेश दिया । डकैतों ने दक्षिण पूर्वी दिशा में बचकर भागने की कोशिश की लेकिन डकैतों को भाग जाने से रोकने के लिए कांस्टेबल सदाशिव यादव ने उन पर गोली चलाई और इस दौरान उसे गोली लगी और वह गिर गया । इसी बीच 33वीं बटालियन पी० ए० सी० के एक हवलदार ने अपने जीवन का भारी खतरा उठाते हुए उस एक विशेष डकैत पर पर गोली चलाई जो उसके बिलकुल नजदीक खड़ा होकर भारी गोलीबारी कर रहा था और उस डकैत को मार गिराया । गिरते-गिरते उस डकैत ने भी हवलदार को गोली मारी । अब तक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक टुकड़ी संख्या-5 के पास दक्षिणी निकास तक रेंग कर पहुंच चुके थे, जहां उन्हें डकैतों की ओर से एक बार फिर गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा । हवलदार श्यामसिंह और कांस्टेबल सदाशिव यादव को जिन्हें मुठभेड़ के दौरान गोलियां लगी थीं तुरन्त जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया ।

इसी मध्य अतिरिक्त पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया और उसे गांव के चारों ओर तैनात कर दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि गांव की सघन तलाशी सुबह ली जाएगी । डकैतों को गांव में तलाश करने पर यह पाया गया कि बाकी बचे डकैतों ने भागते समय एक ग्रामवासी (सदाशिव सिंह) की हत्या कर दी थी । यह भी पाया गया कि मुठभेड़ में तीन डकैत मारे गये थे जिनकी पहचान बाद में राजा सिंह अच्छे लाल नाई और छोटे लाल साह के रूप में की गई । भारी मात्रा में जीवित कारतूसों के साथ और कारतूसों के खोखों के साथ 30.06 कैलिबर की दो अमेरिकन स्प्रिंगफील्ड राइफलें और जिवित/चले हुए कारतूसों के साथ 12 बोर की एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक उनके पास से बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री बी० एस० सिद्धू पुलिस अधीक्षक और डा० तहसीलदार सिंह पुलिस उपाधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 मार्च 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 1992

सं० 199—प्रेज/92—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री जसवीर सिंह,
कांस्टेबल (अब हैड-कांस्टेबल),
दिल्ली पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 12/13 सितम्बर, 1991 के बीच की रात को श्री जसवीर सिंह, कान्स्टेबल जिस समय पंचशील एन्कलेव क्षेत्र में रात्रि गश्त पर तैनात थे तो उन्होंने एक ब्लाक से गुजरते समय एक व्यक्ति को कार संख्या डी० एन० सी०—7341 का शीशा तोड़ते और एक थैला निकालते हुए देखा । कांस्टेबल ने तुरन्त चोर को ललकारा तो वह पास के जंगल में घुस गया । श्री जसवीर सिंह ने उसका पीछा किया । कांस्टेबल को पीछा करते देख चोर जिसकी बाद में बलवंत सिंह के रूप में पहचान की गई, ने कांस्टेबल को धमकी दी कि उसका पिछा करने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे । इससे विचलित हुए बिना श्री जसवीर सिंह ने चोर का पीछा करना जारी रखा और उसको पकड़ कर उसके साथ जूझ पड़े । चोर ने एक जंजीर निकाली और कांस्टेबल पर वार किया परन्तु कांस्टेबल चोर से चैन छीनने में सफल हो गया । इस पर चोर ने तुरन्त एक चाकू निकाल लिया और श्री जसवीर सिंह के चेहरे और सिर पर वार किए जिससे उनके घाव हो गए और उनमें से अधिक मात्रा में रक्त बहने लगा । बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी श्री जसवीर सिंह ने चोर पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की और सहायता के लिए चिल्लाए । कांस्टेबल की चीखों को ड्यूटी पर तैनात अन्य कांस्टेबल और दिल्ली होम गार्ड के एक जवान ने सुना और उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े, और चोर तथा थैले को अपने अधिकार में ले लिया । कांस्टेबल जसवीर सिंह को बाद में अस्पताल ले जाया गया जहां उसके चेहरे और सिर पर 66 टांके लगाए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री जसवीर सिंह, कांस्टेबल ने, उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 1992

सं० 120—प्रेज/92 राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते है :

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एस० सरगुरू,
कांस्टेबल,
60वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री पी० डेंगिन्जिया,
कांस्टेबल,
60वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 11 फरवरी, 1991 को खतरनाक आतंकवादी मकबूल भट्ट को झांसी लगाए जाने की वर्षगांठ होने के कारण श्रीनगर में सुरक्षा बलों को अधिकतम सावधानी की स्थिति में रखा गया था । कांस्टेबल एस० सरगुरू और कांस्टेबल पी० डेंगिन्जिया को खलीफापुरा में गश्त पर स्काउट के रूप में तैनात किया गया था । दल के कमांडर को इस बात की निश्चित सूचना मिलने पर कि आतंकवादियों ने रैनावाड़ी चौकी क्षेत्र, की ओर गोलियां चलाई हैं, पुलिस दल तुरन्त गलियों में घुस गया, ताकि आतंकवादियों को भागने से रोका जा सके । "स्काउट" होने के कारण कांस्टेबल सरगुरू और डेंगिन्जिया चुपचाप गलियों में से निकलते हुए आगे बढ़े और उन्होंने दो व्यक्तियों को संदिग्ध, रूप में घूमते हुए और महिलाओं तथा बच्चों की भीड़ के बीच में मिलते हुए तथा अपने हथियार "फिरन" में छुपाते हुए देखा । स्काउटों ने तुरन्त ही वह सूचना दल के कमांडर को दे दी, जिन्होंने उन्हें गोली न चलाने का आदेश दिया क्योंकि सामान्य नागरिक मारे जा सकते थे । सर्वश्री सरगुरू और डेंगिन्जिया ने दल के कमांडर के निर्देशों के अनुसार यह अच्छी तरह जानते हुए कि सर्वाधिक खतरनाक और पलायन आतंकवादियों

का पीछा कर रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल चिन्ता न करते हुए तंग गलियों में करीब 200 गज तक आतंकवादियों का पीछा किया। इन गलियों के आसपास के क्षेत्रों में काफी सशस्त्र आतंकवादी थे। अन्त में उन्होंने उनमें से एक आतंकवादी पर काबू पा लिया जो 24 राउन्ड की भरी हुई मैगजीन वाली ए० के० 47 राइफल लिए हुए था और बाद में जिसे "अल-उमर-ग्रुप" के एक कुख्यात आतंकवादी नजीर अहमद शाह के रूप में पहचाना गया। पीछा करते हुए पूरे समय इन स्काउटों ने बहुत संयम बरता और एक भी गोली नहीं चलाई और फिर भी सफल रहे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने उन दोनों में से प्रत्येक को उसी दिन 2,500/– रुपये का पुरस्कार दिया।

इस घटना में सर्वश्री सरगुरू, कांस्टेबल और पी० डिगिन्जिया कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं, तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 1992

सं० 121–प्रेज/92––राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विजेन्द्र सिंह,
कांस्टेबल,
5वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 को इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि थाना सफाकदल के अधीन बगियास चौकी के क्षेत्र में तैनात यूनिट की पिकेटिंग पार्टियों पर कुछ उग्रवादी आक्रमण कर रहे हैं, यूनिट कमांडर बल सहित जिसमें कांस्टेबल विजेन्द्र सिंह भी थे, चौकी की ओर रवाना हो गये, उन्होंने क्षेत्र, को घेर लिया और खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच सूचना मिली कि बड़ी संख्या में उग्रवादी यूनिट की नवाकदल चौकी पर हमला कर रहे हैं। तुरन्त कांस्टेबल विजेन्द्र सिंह और कुछ अधिकारियों और कार्मिकों सहित एक सुरक्षा दल को लेकर यूनिट के कमांडेंट घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। कमांडेंट के आदेश पर, कांस्टेबल विजेन्द्र सिंह ने पहल की, स्वयं को आगे रखा और उग्रवादियों का पीछा किया। कांस्टेबल विजेन्द्र सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादियों का पीछा किया जो कि अच्छी तरह से हथियारों से लैस थे और गलियों में से होकर भागते हुए वे पीछा कर रहे पुलिस दल पर गोलियों की बौछार करते रहे। यह देख कर कि कांस्टेबल सिंह विचलित हुए बिना और अपनी जान की परवाह किए बिना उनका दृढ़ता से पीछा कर रहा है, उग्रवादियों के समक्ष केवल इस विकल्प के कि वे अपनी ए० के० 47 राइफल की मैगजीन जिसने 30 राउण्ड भरे हुए थे वहीं छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हों, अन्य कोई रास्ता नहीं बचा था। इस प्रकार आतंकवादियों की सुनियोजित हमले की योजना विफल हो गई। जब पुलिस दल अपनी यूनिट वापिस आ रहा था तो एक अन्य हमले की सूचना दी गई तथा कांस्टेबल विजेन्द्र सिंह सहित, यूनिट घटनास्थल को रवाना हो गई परन्तु उन पर विभिन्न दिशा से गोलियों की बौछार हो गई। पुलिस दल ने अपनी जान की परवाह किए बिना दो तरफ से आक्रमण शुरू कर दिया ताकि उग्रवादियों को पकड़ा जा सके। इस मौके पर, जिस समय कांस्टेबल विजेन्द्र सिंह अपनी एस० एल० आर० की मैगजीन बदल रहा था, तो दुर्भाग्यवश ए० के० 47 राईफल की एक गोली उनकी छाती के पुट्ठे से होती हुई निकल गई। घायल अवस्था में होने के बावजूद भी कांस्टेबल विजेन्द्र सिंह ने गोली चलाना जारी रखा और उग्रवादियों को दूर रखने में सफल रहे तथा अपने साथियों के बहमूल्य जीवन की तब तक रक्षा करते रहे जब तक कि वह बेहोश होकर गिर नहीं गये। तुरन्त उनके साथियों द्वारा उन्हें 92 सैनिक अस्पताल ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में श्री विजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 से दिया जायेगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 1992

सं० 122–प्रेज/92––राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गोवर्धन साहू,
कॉस्टेबल,
43वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 18 नवम्बर, 1991 को श्री एस० एस० सिद्धू, कमांडेंट के नेतृत्व में गांव फतेहपुर में छापा मारने और तलाशी अभियान चलाने की योजना बनाई गई। पूर्ण रूप से ठीक किए जाने के बाद सभी दल गांव फतेहपुर के लिए रवाना हो गए और करीब 0700 बजे वहां पहुंचे। वहां पहुंच कर उन्होंने गांव को घेर लिया और बचकर भागने के सभी संभावित रास्तों को सील कर दिया। घेरे-बन्दी का निरीक्षण करने के बाद श्री सिद्धू, पंजाब पुलिस के एक पुलिस उपाधीक्षक तथा श्री श्याम कुमार बुलकाडे, कांस्टेबल और श्री गोवर्धन साहु, कांस्टेबल सहित अपने मार्ग रक्षी कार्मिकों के साथ घर-घर की तलाशी के लिए गांव के भीतर की ओर बढ़े। जैसे ही तलाशी दल ने लम्बरदार कुन्दन सिंह के घर में प्रवेश किया और आंगन में पहुंचा तो घर के कमरों में छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर ए० के० 47 राइफलों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। बिना हौंसला खोए श्री सिद्धू ने अपने आदमियों को पोजीशन लेने और जवाबी गोलीबारी करके आतंकवादियों को उलझाए रखने का आदेश दिया। श्री गोवर्धन साहु और पुलिस उपाधीक्षक ने आंगन में रसोई के आसपास बनी एक मुंडेर की दीवार के पीछे पोजीशन ली। उनकी स्थिति बहुत ही असुरक्षित थी क्योंकि वे उन दो कमरों के ठीक सामने थे, जहां से उन पर सीधे गोलीबारी की जा सकती थी। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी अपनी ए० के० 47 राइफल से गोलियां चलाते हुए, घेरेबंदी को तोड़ करके भाग निकलने के दुस्साहिक प्रयास में कांस्टेबल साहु और पुलिस उपाधीक्षक पर आक्रमण करते हुए आया लेकिन ये दोनों आश्चर्यजनक ढंग से आतंकवादी की गोलियों से बच गए। कांस्टेबल साहु, खतरे की परवाह न करते हुए आगे बढ़े तथा आक्रमणकारी आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे मार डाला। इसी बीच श्री सिद्धू ने छत के ऊपर तथा सभी सामरिक महत्व के स्थानों पर अपने जवान तैनात किए और आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा परन्तु आतंकवादियों ने श्री सिद्धू के निर्देशों की कोई परवाह नहीं की और मकान के कमरों से पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में श्री सिद्धू और कांस्टेबल श्री श्याम कुमार बहुत बड़े खतरे की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की ओर से हो रही भारी गोलीबारी में रेंगते आगे बढ़े और स्थिति का जायजा लेने के बाद एक दीवार के खंभे के पीछे मोर्चा संभाला। कमरों में छिपे आतंकवादियों ने उन्हें देख लिया और उन पर भारी गोलीबारी की। श्री सिद्धू और श्री श्याम कुमार विधाता की कृपा से आतंकवादियों की गोलियों से बाल-बाल बचे परन्तु भयभीत हुए बगैर वे रेंगकर कमरे के नजदीक पहुंचे और कमरे से स्वचालित हथियारों से गोली चला रहे आतंकवादियों पर खिड़की से गोलियों की बौछार कर दी और दो आतंकवादियों को घटनास्थल पर ही मार डाला। आतंकवादी अपने दो साथियों की मृत्यु हो जाने पर विचलित नहीं हुए और वे पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाते रहे। पुलिस पार्टी ने भी जवाब में गोलियां चलाते हुए आतंकवादियों को उलझाए रखा। श्री सिद्धू ने यह महसूस करते हुए कि जवाबी गोलीबारी से आतंकवादियों पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यह निर्णय लिया कि बुलेट प्रूफ वाहनों में आगे बढ़ा जाए और सड़क की तरफ से खिड़कियों से कमरों में गोली चलाई जाए। तदनुसार श्री सिद्धू और श्री श्याम कुमार ने अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ कमरों में गोली चलाई पर इससे भी उन पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। अन्ततः श्री सिद्धू ने छत को तोड़ कर कमरों में हथगोला फेंकने का निर्णय लिया। छत को तोड़ कर कुल मिला कर 14 हथगोले फेंके गए और अन्ततः इससे अपेक्षित प्रभाव पड़ा और आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई। घर की पूरी तलाशी के बाद वहां से उग्रवादियों के चार शव मिले और उनकी शिनाख्त निरवैल सिंह, सुरेन्द्रसिंह, मस्तान सिंह और तेजेन्दर सिंह, सभी बी० टी० एफ० के० (मनोचहल) गुट से संबंधित के रूप में की गई। मृतकों से दो ए० के० 47 राइफल, एक .315 बोर राइफल, एक .12 बोर डी०बी०बी०एल० बंदूक एक .12 बोर एस० बी० बी० एल० बन्दूक, एक .32 बोर रिवाल्वर तथा ए० के० 47 के खाली सक्रिय कारतूस भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री गोवर्धन साहु ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 नवम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 123–प्रेज 92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री अल्फुद्दीन,
कांस्टेबल,
58वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल। (मरणोपरान्त)

श्री निर्मल सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
58वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

6/7 मई 1991 के बीच की रात को आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गये एक विशेष अभियान के एक भाग के रूप में थाना-सदर अमृतसर में विभिन्न स्थानों पर घात लगाई गई। करीब 23.45 बजे चार पांच अज्ञात व्यक्ति मोटर साईकल पर उस स्थान पर आते हुए दिखाई दिए जहां घात लगाई गई थी। घात लगाने वाले पुलिस दल ने एक टार्च द्वारा संकेत देकर उन्हें रुकने के लिए ललकारा परन्तु इन व्यक्तियों ने पुलिस दल की बात सुनने के बजाए पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलाबारी करनी शुरू कर दी। घात दल के कमांडर ने तुरन्त अपने साथियों को गोली चलाने का आदेश दिया। कांस्टेबल अल्फुद्दीन और कांस्टेबल निर्मल सिंह सहित पुलिस घात दल ने तुरन्त गोलीबारी की परन्तु आतंकवादियों ने एक नहर की ऊंची मंडेर के पीछे अधिक सुरक्षित मोर्चा संभाल लिया और उन पर अंधाधुन्ध गोलीबारी की। दोनों ओर से गोली चलने के कारण कांस्टेबल अल्फुद्दीन और कांस्टेबल निर्मल सिंह बुरी तरह से घायल हो गये परन्तु घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी तथा अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह किए बिना निर्बाध रूप से गोलियां करते रहे। गोलीबारी करीब आधे घन्टे तक चली और फिर रुक गई। उस समय तक सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 36वीं बटालियन के कमांडेंट अन्य अधिकारियों और कुमुक सहित घटना स्थल पर पहुंच गये। कांस्टेबल अल्फुद्दीन और कांस्टेबल निर्मल सिंह ने घावों के कारण बाद में दम तोड़ दिया। उस क्षेत्र की पूर्ण तलाशी लेने के उपरांत एक ए० के० 47 राइफल एक संशोधित .303 राइफल एक .30 माउजर दो छह हथगोले एक हीरो होंडा मोटर साइकल एक बजाज चेतक स्कूटर और बड़ी मात्रा में गोला बारूद सहित दो शव घटनास्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अल्फुद्दीन कांस्टेबल और निर्मल सिंह कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 मई 1991 से दिया जायेगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 124-प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० एन० घोष
कांस्टेबल
2 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 10 सितम्बर 1991 को करीब 14.45 बजे जब श्री आर० एन० घोष अपने कमांडिंग आफिसर के साथ श्रीनगर के डाउन टाउन इलाके में स्थित इस्लामिया कालेज में ड्यूटी पर थे तो आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से पुलिस की टुकड़ी पर हमला किया। श्री आर० एन० घोष कांस्टेबल ने आतंकवादियों के एक समूह को पुलिस थाना नौहट्टा के शीशबाग क्षेत्र की ओर भागते हुए देखा। श्री घोष ने तुरन्त ही मामले की सूचना अपने कमांडिंग आफिसर को दी और अपनी कम्पनी के अन्य सदस्यों के साथ बड़ी तेजी से आतंकवादियों का पीछा किया। उन्होंने कुछ सशस्त्र आतंकवादियों को शीशबाग क्षेत्र की गलियों में देखा और अपने दो साथियों के साथ आतंकवादियों का गलियों के अन्दर पीछा किया जबकि कमांडिंग अफसर के नेतृत्व में दूसरे दल ने साथ की गली में से होकर आतंकवादियों का पीछा किया और उन्हें दूसरी दिशा में घेरने की कोशिश की। पुलिस दल को तेजी से पीछा करते देखकर आतंकवादियों ने श्री आर० एन० घोष और उसके दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी लेकिन इससे विचलित हुए बिना श्री घोष कांस्टेबल ने अपने दल का साहसपूर्वक नेतृत्व किया और जमीन पर उपलब्ध ओट का फायदा उठाते हुए और वे अपने जीवन की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े। श्री घोष को जो दल का नेतृत्व कर रहे थे तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे आतंकवादियों की गोली पेट में लगी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद श्री घोष ने बेहतर पोजीशन लेकर आतंकवादियों पर गोली चलाई और उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। श्री घोष ने आतंकवादियों की ओर भारी गोलीबारी की ताकि वे नए सिरे से कोई आक्रमण न कर सकें ऐसा करते हुए श्री घोष ने अपने दल को आगे बढ़ने में मदद के लिए बचाव में गोलीबारी की और साथ ही घायल आतंकवादी को उठा ले जाने के आतंकवादियों के किन्हीं प्रयासों को रोका तथा आतंकवादियों को वहां से हिलने नहीं दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर भी बहादुरी से सामना करने के लिए श्री आर० एन० घोष कांस्टेबल के इस साहसिक कार्य और दृढ़ निश्चय से अन्य आतंकवादियों में घबराहट फैल गई और वे भाग निकले। घायल आतंकवादी की पहचान अजार अहमद सोफी के रूप में की गई जो कई मामलों में वांछित था और जिसकी बाद में सेना अस्पताल में मृत्यु हो गई। एक ए० के० 56 राइफल दो ए० के० 56 मैगजीन और 30 राउन्ड सोफी से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री आर० एन० घोष कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5

के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 सितम्बर 1991 से दिया जाएगा।

ग० के० उपाध्याय
निदेशक

लोक सभा सचिवालय
(विषय समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001 दिनांक 26 अगस्त 1992

सं० 6/3(ii) एसटीसी/92 श्री एस एस अहलुवालिया के राज्य सभा के लिए पुन : संसद सदस्य निर्वाचित होने पर उन्हें 20 अगस्त, 1992 से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (1991-92) का पुन: सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है।

2. कुमारी सईदा खातून और डा० राजा रमन्ना के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने पर उनके स्थान पर श्री एस० जयपाल रेड्डी, संसद सदस्य और डा० मुरली मनोहर जोशी, संसद सदस्य को 20 अगस्त, 1992 से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है।

हरिपाल सिंह, अवर सचिव

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 1992

आदेश

विषय : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आर–28 (बम्बई अपतटीय) क्षेत्र के 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ–12012/70/90–ओ० एन० जी० डी०-4— पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) आर–28 (बम्बई अपतटीय) क्षेत्र के 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पैट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 17–11–1990 से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 314 रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा।

(ङ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/– रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलो-मीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :–

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/– रु०

(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40/– रु०

(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/– रु०

(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/–रु०

(5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए—600/– रु०

(छ) आयोग को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उप नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किए जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से लेगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की "तलछटी" और उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) पर पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग खदाई अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गये बाथीमीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं ।

(ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो ।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई सम्पूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

आर-28 (बम्बई अपतटीय) क्षेत्र के लिए 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भौगोलिक निर्देशांक ।

प्वाइंट	अक्षान्तर	देशान्तर
जी–7	17° 46″ 00″	72° 26″ 24.6″
एल	17° 46″ 00″	72° 32″ 47.0″
एम	17° 35″ 00″	72° 32″ 47.0″
एन	17° 35″ 00″	72° 25″ 22.0″
ओ	17° 45″ 00″	72° 25″ 32.0″
पी	17° 45″ 00″	72° 26″ 30.8″

अनुसूची—"ख"

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री .... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर————

एम० मार्टिन

डैस्क अधिकारी

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

आदेश

विषय : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आर–74 (बम्बई अपतटीय) क्षेत्र के 120 वर्ग किलो-मीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ–12012/71/90–ओ० एन० जी० डी–4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (i) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) आर-74 (बम्बई अपतटीय) क्षेत्र के 120 वर्ग किलो० मी० क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 17 नवम्बर, 1990 (17–11–1990) से चार (4) वर्ष के लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाये गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 314 रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर पर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी ।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रयेत्क माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/– रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	8/– रुपये
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	40/– रुपये
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	200/– रुपये
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	400/– रुपये

5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600/– रुपये ।

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के

दौरान पाये गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से लेगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यंक्षन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की "तलछटी" और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआयजा देगा जितना आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनिमय और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मन्त्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं ।

(ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो ।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई सम्पूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

अनुसूची "क"

ओर-74 (बम्बई अपतटीय) क्षेत्र के लिए 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भौगोलिक निर्देशांक ।

प्वाइंट	अक्षांतर	देशांतर
ए'	17° 50" 00"	72° 18" 56.17"
जी–3	17° 50" 00"	72° 26" 00.00"
बी'	17° 45" 00"	72° 46" 30.84"
सी'	17° 45" 00"	72° 18" 56.17"

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग हैड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री ..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे यही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर .....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

एम० मार्टिन
डेस्क अधिकारी

कृषि मन्त्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 1992

संकल्प

सं० 4-23/84-मशीनरी (आई एंड पी)-वौल्यूम 2—भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग के दिनांक 1 नवम्बर, 1990 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, श्री गोपाल सिंह खण्डेला, विधायक, ग्राम खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान को भी केन्द्रीय कृषि मशीनरी तथा उपकरण विकास परिषद में गैर-सरकारी सदस्य के वर्ग में नियुक्त करती है। उन्हे इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

श्री खण्डेला को दिए जाने वाले सवारी भत्ते सहित यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान राज्य सरकार के यात्रा भत्ता के नियमों के अन्तर्गत विनियमित किया जायेगा तथा राज्य विधान सभा का सत्र न चलने की अवधि के दौरान उन्हें प्रथम वर्ग अधिकारी के रूप में माना जायेगा। राज्य विधान सभा के सत्र के दौरान उन पर वेतन और भत्तों का भुगतान तथा अपात्रता निराकरण अधिनियम लागू होंगे। वह वे यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (सवारी भत्ता सहित) नहीं लेंगे जो उन्हें राज्य विधान सभा से अपात्र कर दे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, योजना आयोग, मंत्री-मंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-सामान्य की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मालती एस० सिन्हा
संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त, 1992

संकल्प

सं० 16018/2/91-एम-II—विद्यमान राज्य विपणन अधिनियमों और विभिन्न कृषि विपणन निकायों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने और कृषि उपज के विपणन ढांचे को कारगर तथा सुदृढ़ बनाने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। समिति को अपनी रिपोर्ट 3 महीनों की अवधि के अन्दर अर्थात् 14 जून, 1992 तक प्रस्तुत करनी थी। दिनांक 18 जून, 1992 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा समिति का कार्यकाल 14 अगस्त, 1992 तक बढ़ा दिया गया था।

समिति कृषि विपणन से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसा कि इसके विचारार्थ विषयों में उल्लेख किया गया है, की जांच कर चुकी है लेकिन यह अपनी अन्तिम रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं कर सकी है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि समिति का कार्य-काल और एक मास की अवधि अर्थात् 13 सितम्बर, 1992 तक बढ़ा दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए और इसे आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पुरुषोत्तम लाल,
उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 1992

सं० एफ० 10-5/92-यू० 5—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की नियमावली और संघ ज्ञापन के नियम 3 और 6 के अन्तर्गत, भारत सरकार निम्नलिखित सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई अवधि तक तत्काल परिषद् का सदस्य मनोनीत करती है :—

1. प्रो० सी० टी० कुरियन — 31 मार्च, 1995
भूतपूर्व निदेशक,
मद्रास विकास अध्ययन संस्थान,
मद्रास,
79, सेकिन्ड मेन रोड़,
गांधी नगर, अदयार,
मद्रास-600020।

2. प्रो० अन्द्रे बेटेइल्ले — 31 मार्च, 1995
समाज शास्त्र विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110007।

3. डा० एम० जुबेरी — 31 मार्च 1995
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति केन्द्र,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
न्यू महरौली रोड़,
नई दिल्ली-110067।

4. श्री रन्धीर सिंह, 31 मार्च, 1995
राजनीति सिद्धांत के प्रोफेसर
(अवकाश प्राप्त),
दिल्ली विश्वविद्यालय,
52, हेमकुंट कालोनी
नई दिल्ली–110048।

5. प्रो० इन्द्र देव, 31 मार्च, 1995
अध्यक्ष,
समाज शास्त्र विभाग,
रायपुर (म० प्र०)–492010।

6. प्रो० अरूण घोष,
भूतपूर्व सदस्य, 31 मार्च, 1995
योजना आयोग,
78, एस० एफ० एस०
मुनिरका एन्कलेव,
नई दिल्ली–110067।

7. डा० आर० सी० शर्मा, 31 मार्च, 1993
महानिदेशक,
राष्ट्रीय संग्रहालय,
नई दिल्ली–110011।

सरतचन्द्रन
सहायक शिक्षा सलाहकार

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय

नई दिल्ली–110003, दिनांक 26 अगस्त, 1992

संकल्प

सं० 11015(6)/89–हिन्दी—तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग) के संकल्प सं० 11015(6)/89–हिन्दी दिनांक 8 नवम्बर, 1990 के साथ पठित तत्कालीन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के दिनांक 16 अप्रैल, 1992 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें उल्लिखित हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में क्रम सं० 10 पर की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि एतदद्वारा प्रतिस्थापित की जाती है :—

"10. श्री वे० शेषन, 341, डी० डी० ए० एम० एम० एफ०, हौजखास, नई दिल्ली–110016"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों, और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध, योजना आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कृष्ण कुमार जोशी
संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1992

सं. क्यू-16012/2/89-ई. एस. ए. (डब्ल्यू. ई.).—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों तथा विनियमों के नियम 3(6) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा कर्नाटक सरकार के सचिव (श्रम विभाग) के स्थान पर गोवा सरकार के सचिव (श्रम विभाग) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. भारत के राजपत्र भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या क्यू.-16012/2/89-ई. एस. ए. (डब्ल्यू. ई.) तारीख 25 जून, 1990 में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :—

वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर अर्थात्:—

"6. सचिव, कर्नाटक सरकार,
समाज कल्याण एवं श्रम विभाग,
बंगलौर, कर्नाटक।"

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"6. सचिव,
गोवा सरकार, श्रम विभाग,
सचिवालय सौध,
ई. डी. सी. हाउस, पणजी, गोवा।"

लालफाक अजाना, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 12th September 1992

No. 108-Press/92—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermantioned officer of the Border Security Fors

Name and Rank of the Officer

Shri Satya Narayan Saha,
Naik, 127 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19-1-91 at about 1430 hours, 'B' Company of 127 Battalion, BSF, located at Sugar mill, Zira was requisitioned by Supdt. of Police, Zira for joint coming/search operation near village Nihalka, P. S. Makhu, Distt. Ferozepur. As the Company reached near the place of operation, heavy volume of fire started coming from two farm houses on BSF party. Naik Satya Narayan Saha was a member of one of the search parties. In order to reach near the entrance gate of farm house, inspite of heavy volume of fire coming from the front side, Naik Saha out of sheer gate managed to cross up to one of the militants, who was firing heavy volume of bursts with his automatic rifle on the search party. The volumes of fire was so interest that the entire search party had to take position on the ground. In order to neutralise the firing of the militants, 3 Light machine guns were placed at different directions to provide covering fire to the advancing search parties.

Naik Saha, without caring for his personal safety, literally pounced on the militant and grabbed the barrel of the rifle with a view to snatch it from the militant which resulted in severe burn injuries on both palm of Naik Saha. During the scuffls, Naik Saha received one bad injury on his left arm above the elbow. Inspite of heavy bleeding and hands badly bruised, Naik Saha managed to hit on the privats part of the militant with his boot ankle and snatched his AK-47 rifls. One Sub-Inspector, who was engaged in giving covering fire to the search party killed the extremist on the spot.

Naik Saha who was injured during the encounter was trapped inside the farm house was evacuated by the other search parties and rushed to hospital after giving first aid.

In the meantime, another group of militants fired on a group of army personnel carrying out winter exercise in the near-by vicinity of village Nihalke. The army personnel returned the fire. Thereafter, Supdt. of Police, Zira also reached the spot alongwith police party. The exchange of fire continued upto 2.30 P.M. Thereafter the area was searched and sight dead bodies of militants were recovered. In the exchanges of fire one girl of about 12 years was also killed. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Satya Narayan Saha, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowances admissibly under rule 5, with effect from 19th January, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

New Delhi, the 12th September 1992

No. 109-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mahavir Oraon,
Constable, 26 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25-8-1991, a joint cordon and search operation was carried out by BSF and Punjab Police personnel in the area of Regional Research Centre farm of Punjab Agricultural University near village Kheri on Sangrur-Patran Road. The office complex of Research Centre and residential quarters was sorrounded by high crops of sugarcanes, Maize, cotton and arher etc. In about 50 acres of land. Thus the place provided an excellent hide-out of the terrorists. Police authorities suspected this farm to be the hide-out of a gang of terrorists which had created terror in the area by its wanton killings.

The search operation started at 0500 hours. After completing the search of the office complex, the BSF party advanced to search the residential quarters on one of the extreme corners. When the party reached near residential quarters of class-IV staff, they were fired upon with automatic weapons from one of the quarters. However, due to tactical move to the party no one was injured. The party immediately cordoned the quarter and took position. In the meantime, the terrorists managed to jump into the adjacent sugarcane field through the rear window of the house. The party observed six terrorists running into the sugarcane field. The BSF party cordoned the field from one side while police party from other side. The terrorists started firing on BSF party and tried to escape into another sugarcane field by adopting fire and move tactics. The BSF party engage the terrorists by heavy fire and confined them in the same sugarcane field. As there was no cover the BSF personnel had to take firing position in the open. Constable Mahavir Oraon took position on the track dividing the sugarcane fields so that he could cover the area both by firing and observation, deterring the terrorists from crossing to the other fields. Constable Oraon kept on firing into the sugarcane crops and along the track and forced the terrorists to remain in the same field. During this fierce exchange of fire, one of the bullets fired by terrorists hit Constable Oraon on the head through steel helmet. Inspite of bullet injury Shri Oraon kept on firing on the terrorists and was able to injure one of the terrorists, who was subsequently killed by following the trail of blood stains. This terrorist was trying to cross to other field. Shri Oraon kept on firing on the terrorists and prevented their escape to other fields. Thereafter he was rushed to Civil Hospital, Sangrur.

In the meantime the District Headquarters were informed by wireless for re-inforcements. After some time the re-inforcement reached the spot and cordon was further strengthened. The exchange of fire continued for more than three hours. In the encounter in all six terrorists were killed, out of them five were later identified as Balbir Singh alias Baba Garja Singh, Amrik Singh, Piara Singh, Singara Singh, Karamjit Singh. However, one of them could not be identified. During search 1 AK-47 rifle, one 7.62 mm SLR, two .315 bore rifles, one .401 rifle, two .38 bore revolvers and large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Mahavir Oraon, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 25th August, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

New Delhi, the 12th September 1992

No. 110-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Pramod Kumar,
Assistant Commandant, 143 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 6-8-1991, Police authorities of Budhlada informed Shri Pramod Kumar, Assistant Commandant of 143 Battalion, BSF that his Company is required immediately for offensive operation against miliants at village Saidwala, P.S. Boha. Without losing any time Shri Pramod Kumar with his party rushed to that place. On reaching there he was told that militants were hiding in a building. Shri Pramod Kumar assessed the situation and planned a tactical operation to flush out militants. As the cordon was being laid, the militants opened fire from the said building. The Police/BSF personnel returned the fire in staff defence.

Shri Pramod Kumar went towards the building by crawling under the covering fire and lobbed hand grenades. On this militants shifted to the next room which was a store room. Without caring for his personal safety, Shri Pramod Kumar climbed at the roof of the building and started demolishing a portion of a wall to make an opening. On seeing Shri Pramod Kumar acting bravely in the face of danger, his party personnel also pushed forward and climbed on the roof. They demolished a part of the wall and made a couple of holes. While Shri Pramod Kumar was loobing a grenade through one of the holes, the militants fired a burst through that hole and bullet partially injured Shri Pramod Kumar right hand. Inspite of the injury, he kept on loobing the grenade which caused explosions inside the store room. The entire room was full of smoke and the officer could hear the cries of the militants. After watching the daring action of Shri Pramod Kumar, the men of other Unit also loobed grenades and fired aggressively into the store room. After some time firing from the militants side stopped. During search two dead bodies of militants were recovered, who were later identified as Gurmej Singh alias Geja and Satnam Singh. During search one AK-56 rifle, one AK-74 rifle, one .12 bore DBBL Cut Barrel gun, one .12 bore gun butt group and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Pramod Kumar, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th August, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 111-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Gurmit Singh (Posthumous)
Lance Naik, 132 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26th May 1991 at about 1315 hours a patrol party of 124 Battalion, BSF was trapped in an ambush by the militants on Kunwara-Kalarush Road. The ambush site was having steep hill features on both sides clad with thick jungle, this provided tactical advantage to the militants. Eight Jawans were infured in the ambush. As the Battalion Headquarter of 124 Battalion, BSF was situated at a far off place from the place of ambush, the Battalion Headquarter of 132 Battalion were requested to send the reinforcements.

At about 1400 hours, Unit Medical Officer alongwith one Company of 132 Battalion (including Lance Naik Gurmit Singh) immediately rushed to the place of ambush, they were also fired upon heavily by the militants who had already covered the road leading to the ambush site. Thus it became necessary to dislodge the militants from the adjoining hilly features.

Lance Naik Gurmit Singh was asked to clear the adjoining hill features with a section under his command. Although the militants were occupying a tactically advantageous position on hill top and were indiscriminately firing at the approaching BSF personnel, Lance Naik Gurmit Singh showed expemplary courage and leadership of an unusual nature inspite of definite danger to his life he led his men from the front and through personal example helped them advance towards the militants. While firing on the militants, the BSF party kept on climbing towards the hill top. Lance Naik Gurmit Singh without caring for his personal safety, while moving ahead of his section challenged the militants, inspite of heavy fire from the militants. He inspired his men and encouraged them to stick to the last.

In the process three jawans of his section got injured and he himself sustained bullet injury in his chest. Unmindful of his injury sustained by him and the continued threat from the militants, Lance Naik Gurmit Singh kept his cool and with extra-ordinary devotion to duty of an exceptional order encouraged his men to attack the militants. In the process he succumbed to his injuries and laid down his life fighting the militants, his efforts did not went in vain, seeing the determination of the BSF party the militants fled away and the BSF party captured the dominating hill feature, a very important step to contain militancy in the area.

In this encounter (Late) Shri Gurmit Singh, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26th May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

New Delhi, the 12th September 1992

No. 112-Pres/92.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Narinder Pal Singh,
Senior Supdt. of Police,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 2-9-1991 at about 12.20 PM a group of about ten extremists wearing police uniforms came to the house of Comrade Gurnam Singh of village Lahuka, P.S. Patti. The extremists told that they have come from P.S. Bhikhiwind to Inspect the arms and ammunition held by the armed guards of Comrade Gurnam Singh. They took the rifles and ammunition and the walkis-talkis set from the guards. After taking the arms and ammunition the extermists kidnapped Comrade Swarn Singh and fled away.

After the incident the Guards immediately informed Shri Sukhdev Singh Brar, Deputy Supdt. of Police Patti. They immediately rushed to the spot, there they learnt that the extremists have guns towards village Jaura with the captive. Shri Brar flashed the massege to SSP, Tarn Taran, nearby Police Stations and CRPF posts. Shri Brar cordoned village Jaura from all directions by deputing different police parties. Subsequently they got the information that the extremists were

seen going towards village Dial Rajputan side. Accordingly, Shri Brar flashed the message on wireless to his senior formations and quickly moved towards village Dial Rajputan. Seeing the movement of Police/CRPF vehicles, the extremists abandoned their vehicles and took positions in nearby sugarcane fields.

By the time Shri Narinder Pal Singh, SSP, Tarn Taran alongwith force reached there and took command of the operation. As the search was in progress, the extremists hiding in the sugarcane fields opened fire on the police parties. The police parties returned the fire. Under the direction of Shri N. P. Singh, grenades were looped in sugarcane fileds. Shri Khubi Ram, Supdt. of Police, Operations, Tarn Taran himself looped hand grenades in the fields. Due to the pressure of grenades and heavy firing by the police parties, the extremists could not hold the kidnapped Comrade Swarn Singh. Finding opportunity, Comrade Swarn Singh came out of the sugarcane fields and presented himself before the security forces. Thus Shri Khubi Ram was able to rescue the kidnapped person without any harm to him. Comrade Swarn Singh provided valuable information about the presence of extremists in the fields. The extremists desparately continued firing towards the police personnel. The police parties returned the fire effectively. The firing continued upto 7.30 P.M. Thereafter, Shri N.P. Singh decided to abandon the search and tightened the cordon as it was getting dark and to avoid casualities.

At about 8.45 P.M. on 3-9-1991, the trapped extremists in a bid to escape, started indiscriminate firing towards the security personnel, who were manning the cordon along the canal side. The extremists divided themselves into 3-4 groups. One extremist in a desperate bid to escape, continued firing on the police personnel so as to break the cordon, but he was very skilfully shot dead by Inspector Sube Singh.

At about 6.30 P.M. on 3-9-1991 a joint search operation by Police and CRPF personnel began under the directions and supervision of Shri N.P. Sigh. Shri N.P. Singh led the search himself with the gunmen and was on the fore-front. It was a morale booster for the whole force, they jumped in this war-like situation willingly and with full vigour and strength. In the process of paddy field was cleared as there was no resistance. When the adjoining paddy field was being searched from the northern and western flanks the extremists fired on the search party headed by Shri N.P. Singh. In the firing Constable Jasbir Singh, who was moving side by side with Shri N.P. Singh, got bullet injuries on his left shoulder. The bullet narrowly missed Shri N.P. Singh, inspite of this he kept on leading the force. Shri Singh, with his presence of mind and past experience, fired towards that direction from his weapon. The bullets fired by Shri N.P. Singh hit the extremists, who cried while dying. In the meantime the movement of another extremist was noticed by Shri N. P. Singh, he fired towards that direction and killed another extremist. Thereafter, there was no resistance for clearing this second paddy field. Then the search operations was abandoned and tight cordon was again laid down around the suspected area, the police personnel were engaged in this grave and intense operation for more than 24 hous continuously without food.

Next day morning i.e. on 4-9-1991 the search of sugarcane and paddy fields again started. The exremists opened fire on the search party headed by Shri Khubi Ram, SP (Operations), and Paramdeep Singh, Dy. S.P. Bhikhiwind alongwith others, they moved ahead in a lying positions. They could ultimately kill one extremist. Thereafter, three parties each headed by Sub-Inspector Ram Nath, Shri S.S. Brar, Deputy Supdt. of Police and Khubi Ram, started moving in the directions from where the extremists were firing. After locating the probable positions of the hidden extremists in the sugarcane fields S/Shri Ram Nath, Sukhdev Singh Brar and Khubi Ram cralwed towards the place of hiding and were able to kill one extremist each.

In the fifty one hours long and gruesome operation against the extremists, in all seven extremists were killed, out of them five were later identified as (1) Satnam Singh alias Satta; (2) Avtar Singh alias Billa; (3) Dilbag Singh; (4) Major Singh alias Ghuk; and (5) Sukhwinder Singh alias Kala. During search one SLR, one 7.62 bors rifle, eight .303 rifles, one Walkie Talkie set and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Narinder Pal Singh, Senior Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd September 1991.

A. K. UPADHYAY,
Director

No. 113-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and rank of the officers

Shri Suba Singh,
Inspector of Polce,
S.H.O. P.S. Jhabal.
Shri Jasbir Singh,
Constable,
1st Commando Battalion, PAP.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 2nd September 1991 at about 12.20 P.M. a group of about ten extremists wearing police uniforms came to the house of Comrade Gurnam Singh of village Lahuka, P.S. Patti. The extremists told that they have come from P.S. Bhikhiwind to inspect the arms and ammunition held by the guards of Comrade Gurnam Singh. They took the rifles and ammunition and the walkie-talkie set from the guards. After taking the arms and ammunition the extremists kidnapped Comrade Swarn Singh and fled away.

After the incident the Guards immediately informed Shri Sukhdev Singh Brar, Deputy Supdt. of Police, Patti. They immediately rushed to the spot, there they learnt that the extremists have gone towards village Jaura with the captive. Shri Brar flashed the message to SSP, Tarn Taran, nearby police stations and CRPF posts. Shri Brar cordoned village Jaura from all directions by deputing different police parties. Subsequently they got the information that the extremists were seen going towards village Dial Rajputan side. Accordingly, Shri Brar flashed the message on wireless to his senior formation and quickly moved towards village Dial Rajputan. Seeing the movement of Police/CRPF vehicles, the extremists abandoned their vehicle and took position in nearby sugarcane fields.

By the time Shri Narinder Pal Singh, SSP, Tarn Taran alongwith force reached there and took command of the operation. As the search was in progress, the extremists hiding in the sugarcane fields opened fire on the police parties. The police parties returned the fire. Under the directions of Shri N.P. Singh, grenades were lobbed in sugarcane fields. Shri Khubi Ram, Supdt. of Police, Operations, Tarn Taran himself lobbed hand grenades in the fields. Due to the pressure of grenades and heavy firing by the police parties, the extremists could not hold the kidnapped Comrade Swarn Singh. Finding opportunity, Comrade Swarn Singh came out of the sugarcane fields and presented himself before security forces. Thus Shri Khubi Ram was able to rescue the kidnapped person without any harm to him. Comrade Swarn Singh provided valuable information about the presence of extremists in the fields. The extremists desperately continued firing towards the police personnel. The police parties returned the fire effectively. The firing continued upto 7.30 P.M. Thereafter, Shri N.P. Singh decided to abandon the search and tightened the cordon as it was getting dark and to avoid casualities.

At about 3.45 P.M. on 3-9-1991, the trapped extremists in a bid to escape, started indiscriminate firing towards the security personnel, who were manning the cordon along the canal side. The extremists divided themselves into 3-4 groups. One extremist in a desparate bid to escape, continued firing on the police personnel so as to break the cordon, but he was very skilfully shot dead by Inspector Suba Singh.

At about 6.30 P.M. on 3-9-1991 a joint search operation by police and CRPF personnel began under the directions and supervision of Shri N.P. Singh. Shri N.P. Singh led the search himself with his gunmen and was on the fore-front, It was a morale booster for the whole force, they jumped in this war-like situation willingly and with full vigour and strength.

In the Process a paddy field was cleared as there was no resistance. When the adjoining paddy field was being searched from the northern and western flanks, the extremists fired on the search party headed by Shri N.P. Singh. In the firing Constable Jasbir Singh, who was moving side by side with Shri N.P. Singh, got bullet injuries on his left shoulder. The bullet narrowly missed Shri N.P. Singh, inspite of this he kept on leading the force. Shri Singh, with his persence of mind and past experience, fired towards that direction from his weapon. The bullets fired by Shri N.P. Singh hit the extremist, who cried while dying. In the meantime the movement of another extremist was noticed by Shri N. P. Singh, he fired towards that direction and killed another extremist. Thereafter, there was no resistance for clearing this second paddy field. Then the search operations was abandoned and tight cordon was again laid down around the suspected area, the police personnel were engaged in this grave and intense operation for more than 24 hours continuously without food.

Next day morning i.e. on 4-9-1991 the search of sugarcane and paddy fields again started. The extremists opened fire on the search party headed by Shri Khubi Ram, SP (Operation) Shri Paramdeep Singh, Dy. SP, Bhikhiwind alongwith others, they moved ahead in a lying positions. They could ultimately kill one extremist. Thereafter, three parties each headed by Sub-Inspector Ram Nath, Shri S.S. Brar, Deputy Supdt. of Police and Khubi Ram, started moving in the directions from where the extremists were firing. After locating the probable positions of the hidden extremists in the sugarcane fields S/Shri Ram Nath, Sukhdev Singh Brar and Khubi Ram crawled towards the place of hiding and were able to kill one extremist each.

In this fifty-one hours long and gruesome operation against the extremists, in all seven extremists were killed, out of them five were later identified as (1) Satnam Singh alias Satta; (2) Avtar Singh alias Billa; (3) Dilbag Singh; (4) Major Singh alias Ghuk; (5) Sukhwinder Singh alias Kala. During search one SLR, one 7.62 bore Rifle, eight .303 rifles, one Walkie Talkie Set and large quantity of Live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Suba Singh, Inspector of Police and Jasbir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule (4) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd September 1991.

A. K. UPADHYAY,
Director

No. 114-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name & Rank of the Officer

Shri A. K. Mittal,
Dy. Supdt. of Police.
Batala.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 25th November 1991, Shri Arun Kumar Mittal, Deputy Supdt. of Police alongwith a police party was carrying out search and combing operation in the area, then they received information that a group of terrorists affiliated to International Guerilla Force was hiding in the eucalyptus trees belonging to Panchayat of Kalanaur. The Deputy Supdt. of Police, Dera Baba Nanak was informed to reach the spot immediately for a joint operation.

Shri Mittal immediately reached the spot alongwith his party. As the police parties reached near the suspected hide-out the terrorists opened fire with sophisticated weapons. The Police parties immediately retaliated in self defence. The terrorists were determined and they kept on changing their positions and fired very heavily on the parties. One of the terrorists took aim and fired at Shri Mittal but luckily, he narrowly escaped. Shri Mittal without caring for his personal safety, chased the fleeing terrorists. The other terrorists also tried their best to thward the attempt of Shri Mittal to reach near the hide-out and fired at him. Shri Mittal very tactically fired on the fleeing terrorists and killed him.

In the meantime, Senior Supdt. of Police, Batala reached the spot alongwith his force. The cordon was further strengthened and all possible escape routes were plugged. A fierce encounter took place, which lasted upto 1.30 P. M. Thereafter, firing from the terrorists side stopped. During search dead bodies of five terrorists were recovered, who were later identified as Gurnam Singh alias Billa, Randhir Singh alias Dhira, Veer Singh, Jasbir Singh and Baljit Singh. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri A. K. Mittal Dy. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This awarded is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25th November, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 115-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name & Rank of the Officer.

Shri Surinder Singh,
Sub-Inspector of Police.
S. H. O., P. S. Sirhali.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 15th April 1990, as per operational programme all companies of 33 Battalion, CRPF were on raid/search duties. At about 0800 hours when they were crossing village Pheloke, they decided to carry out search of the farm house of one Gian Singh. As they reached near farm house, the terrorists hiding there opened heavy fire on the police party. They immediately informed Unit Headquarter and Police Stations for reinforcements.

Sub-Inspector Surinder Singh, SHO, P.S. Sirhali alongwith his party immediately reached the spot surveyed the situation and asked the extremists to surrender. But extremists continued heavy firing on the police parties with automatic weapons. The fire coming from vantage position in the room. On realising this Shri Surinder Singh alongwith CRPF personnel took positions just in front of the room from where heavy firing was coming.

As the fire proved ineffective two personnel of CRPF climbed on the roof of the room made holes and threw grenades in the room. As a result, the fodder stored in the room caught fire and three extremists hiding inside were burnt and killed on the spot.

In the meantime about 4-5 terrorists started firing on the police party from other side. Shri Surinder Singh alongwith his escort party and CRPF personnel, immediately moved towards the place from where the terrorists were firing and cordoned the whole area. Without caring for his personal safety Shri Surinder Singh Advanced towards the extremists from South-East, while CRPF personnel advanced from other sides. The terrorists even after seeing the police/CRPF personnel, kept on firing in all directions with sophisticated weapons. S.I. Surinder Singh came very close to the extremists who were firing on the police/CRPF personnel, threw hand grenades and ordered his men to fire rifle grenades On seeing S.I. Surinder Singh

advancing 2-3 extremists ran towards wheat fields and while running they kept on firing on the chasing police personnel. S.I. Surinder Singh continued to chase the fleeing terrorists and kept on firing while running, which resulted in killing of two terrorists. The encounter lasted for about six hours, as a result of this 6 extremists were killed, out of them one dead body was taken away by the extremists. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Surinder Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th April, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 116-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Tejinder Singh,
Inspector of Police,
SHO, P.S. Ajnala.

Shri Thaman Singh,
Head Constable,
Ajnala.

Shri Gurjeet Singh,
LC/Gunman to SHO,
P.S. Ajnala.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17th November, 1990 on receipt of secret information, Inspector Tejinder Singh alongwith other police personnel (including Head Constable Thaman Singh and Lance Constable Gurjeet Singh) and para military force raided the farm house of one Sawinder Singh, Sarpanch of village Gaure Nangal, where dreaded terrorists were present. On reaching there Shri Tejinder Singh assessed the situation and challenged the extremists to surrender but the terrorists opened heavy fire on the police party. The Police personnel immediately took positions and returned the fire in self defence. The message was also flashed to Control Room, Majitha through wireless for reinforcements.

After some time reinforcements reached the spot. Thereafter the police and para military personnel were divided into two groups. Inspector Tejinder Singh alongwith S/Shri Thaman Singh, Gurjeet Singh and one section of CRPF entered the farm house. Other senior officers cordoned the farm house. As the police party entered the farm house by crawling they were heavily fired upon by the extremists with automatic weapons. On this, Inspector Tejinder Singh lobbed hand grenade from the front side of the entrance, as a result of this the firing from the terrorists side subdued, thereafter he lobbed more hand grenades and other police personnel started firing with their weapons. Head Constable Thaman Singh and L.C. Gurjeet Singh also threw hand grenades in the farm house. In the exchange of fire S/Shri Tejinder Singh, Thaman Singh and Gurjeet Singh received bullet injuries whereas Head Constable Samiullah Khan of CRPF was killed. The exchange of fire continued from 7.00 AM to 8.00 PM. Thereafter firing from the extremists side stopped. The party headed by Inspector Tejinder Singh then entered into the rooms of the farm house and they recovered six dead bodies of extremists, who were later identified as Sukhdev Singh alias Sukha, Kuldip Singh alias Kipa, Narinder Singh Alias Toti, Sewa Singh, Ajit Singh and Swaran Singh alias Shona. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter. In the encounter Constable/Driver M. K. Verkey of CRPF was also killed.

In this encounter S/Shri Tejinder Singh, Inspector of Police, Thaman Singh, Head Constable, and Gurjeet Singh, LC/Gunman to SHO displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th November, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 117-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Bachan Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Dist. Moga.

Shri Bishan Dass, *(Posthumous)*
Inspector of Police,
Dist. Moga.

Shri Puran Singh, *(Posthumous)*
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Dist Moga.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17th May 1991, secret information was received by Shri Bachan Singh, Deputy Supdt. of Police, Moga that dreaded extremist Gurcharan Singh alias Channa alongwith his associates were hiding in the house of one Sampuran Singh, Village Aulakh, P.S. Sadar Kotkapura. They take shelter and keep arms and ammunition in the said house before and after committing crimes. Shri Bachan Singh organised the police party for raid consisting of Inspector Bishan Dass, SHO, P.S. Bugapurana, Assistant Sub-Inspector Puran Singh alongwith other Police/BSF personnel. He also informed the District Headquarters.

Thereafter they reached the spot, cordoned the house and challenged the extremists to surrender. But the extremists opened heavy fire on the police party. The Police Party returned the fire in self defence. S/Shri Bachan Singh, Bishan Dass and Puran Singh alongwith others, without caring for their lives in daring move tried to over power the extremists by entering the house. But the extremists opened fire on the police personnel and in the process S/Shri Bachan Singh, Bishan Dass and Puran Singh and other received bullet injuries. On this the police parties threw hand grenades on the house. Thereafter, firing from the extremists side stopped. Then the house was searched, in an under-ground Bhora the dead body of dreaded extremist Gurcharan Singh alias Channa was recovered. During search one AK-47 rifle with magazine, 15 empties, one GPMG with Drum Magazine, 15 live cartridges, two .303 rifles with 35 rounds were recovered from the place of encounter.

Out of the injured persons, Assistant Sub-Inspector Puran Singh died on the same day, whereas Inspector Bishan Dass succumbed to his injuries the next day.

In this encounter S/Shri Bachan Singh, Deputy Supdt. of Police, Shri Bishan Dass, Inspector of Police and Shri Puran Singh, Asstt Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

118-Pres/92.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri B. S. Sidhu,
Supdt. of Police,
Banda.

Dr. Tehsildar Singh,
Deputy Supdt. of Police.
Banda.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of information on 15th March 1990 at about 4.00 PM about presence of 7-8 dacoits in the house of one Bonga Nai, village Hastam, P.S. Bisanda, Shri B. S Sidhu, Supdt. of Police directed Dr. Tahsildar Singh, Deputy Supdt. of Police to assemble readily available force to cordon and confront the dacoits. The entire force without loss of time reached Khurahand out-post by 4.35 PM. The Supdt. of Police then enquired the whereabouts of the gang from the informer and the villagers who intimated that the gang had moved towards the Nala outside the village with the intention of committing a crime in the house of one Keshav Singh.

The entire force was divided into 5 parties, of which the first party was led by S.P., the second party was headed by Dy. S.P. Banda and the third party was placed under the charge of Inspector of Police, Kotwali. Similarly the fourth and fifth parties were placed under charge of Reserve Sub-Inspector of Police and Platoon Commander respectively. After briefing the police personnel about the strategy of encounter and entire planning, all the parties were asked to take their respective positions by 6.30 PM and await the arrival of the gang. At about 7.00 PM 7-8 armed decoits in police uniform reached the house of Keshav Singh and shouted for opening of the door. Finding no response, a decoit cried aloud that it was Budh Sen Gang and if the doors were not opened the house would be set on fire to kill all the residents. On this, the S.P. Banda Shri Sidhu warned the dacoits that they had been surrounded by the police and they should lay down their arms and surrender. The dacoits responded by indiscriminate firing on the first party and warned the police to retreat otherwise they would be killed. This volley of firing was aimed at the S.P. who fortunately escaped unhurt. Shri Sidhu then alerted all the parties and directed that dacoits did not escape from the cordon. The dacoits were also warned by various police parties to lay down their arms. The dacoits sensing themselves fully surrounded by the police, divided themselves into small groups and started firing indiscriminately. Finding intense firing by the dacoits, the S.P. sent a message for reinforcement of police. The dacoits again fired upon the S.P. following his voice but he miraculously escaped and returned the fire. The Dy. S.P. Dr. Singh and one S.I. also fired heavily on the dacoits and the other parties also joined in the firing. While firing from both sides was continuing. Constable Jai Ram Singh of 43 Bn. PAC unmindful of the grave risk to his life tried to take a better position and fired upon the dacoits which was replied by firing on party No. 5 by the dacoits. Meanwhile Pl. Cdr. cried out to the S.P. that Constable Jai Ram Singh had been hit by a bullet. Since the S.P. was actively involved in the exchange of fire, he directed the Pl. Cdr. to shift the injured Constable to hospital for treatment. He also directed all the police parties over the loud hailer to mount further pressure on the dacoits keeping their own security in view. The dacoits were now under pressure and their firing became more intense.

By now, Constable Sada Shiv Yadav of 43 Bn. PAC had taken position in place of Constable Jai Ram Singh. The dacoits started advancing towards the police party No. 1 and as a result of firing by police, one of the dacoits fell down. Sensing imminent danger to the S.P. and his party, the Dy.S.P. immediately opened the door and started firing and during the exchange of fire one dacoit was hit and he fell down. Later the firing ceased for ascertaining the current position of the dacoits. The Dy.S.P. was suddenly fired upon by the dacoits, however, he escaped on account of his swift movement. Meanwhile the S.P. and one Sub-Inspector of Police crawled up to the eastern corner of the roof on the house of Keshav Singh and the S.P. ordered VLP fire for illumination. The dacoits tried to escape in the south-eastern direction but Constable Sada Shiv Yadav fired upon the dacoits to hold their escape and during this he was hit and fell down. Meanwhile, one Havildar of 33 Bn. PAC exposed his life to grave risk and fired upon one particular dacoit who was firing heavily from close to him and hit that dacoit. The dacoit also managed to shoot the Havildar as he fell down. By now the S.P. and Dy.S.P. had crawled to the southern exit near party No. 5 where they again faced a volley of fire from the dacoits. Havildar Shyam Singh and Constable Sada Shiv Yadav who had sustained bullet injuries during the encounter, were immediately rushed to the district hospital but expired on the way.

In the meantime additional force reached the scene which was deployed around the village and it was decided that intensive search of the village would be done in the morning. On search of the decoits in the village, it was learnt that the remaining dacoits had killed one villager (Sada Shiv Singh) while escaping. It was also found that in the encounter three dacoits had been killed who were later identified as Raju Singh, Achchhey Lal Nai and Chhote Lal Sahu. Two American Rifles Calibre 30.06 spring field with huge quantity of live cartridges and fired shells and 1 DBBL 12 bore gun with live cartridges fired shells were recovered from their possession.

In this encounter S/Shri B. S. Sidhu, Supdt. of Police and Dr. Tehsildar Singh, Dy. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th March, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 119-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police.

Name and Rank of the officer

Shri Jasbir Singh,
Constable (now H. C.),
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the intervening night of 12th/13th September, 1991. Shri Jasbir Singh, Constable on night patrolling in Pansh sheel Enclave area, while passing through a block noticed one person beaking open a window of a Car No. DNC 7341 and removing a bag. Constable Jasbir Singh immediately challenged the thief, but he slipped into the nearby jungle. Shri Jasbir Singh chased him. The thief later identified as Balwant Singh seeing the Constable chasing him threatened him with dire consequences. Shri Jasbir Singh undeterred continued the chase and caught hold of the thief and grappled with him, thief pulled out a chain and hit the Constable but the Constable succeeded in snatching the chain from him. The thief immediately pulled out a knife and inflicked severe blows on the face and head of Shri Jasbir Singh who started bleeding profusely. Despite being severely injured Shri Jasbir Singh did not loose his grip on the thief and shouted for help. The crise of the Constable were heard by another Constable and a Delhi Home Guard on duty who immediately rushed to his rescuse, took care of the thief and the bag. Constable Jasbir Singh was later taken to hospital where he was given 66 stiches on his face and head.

In this encounter Shri Jasbir Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13th September, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 120-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :-

Name and Rank of the Officers

Shri S. Sarguru,
Constable, 60 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri P. Degingia,
Constable 60 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 11th February, 1991 being the execution anniversary day of the notorious terrorist Maqbooi Bhatt, security forces in Srinagar were put on maximum alertness. Constable S. Sarguru and Constable P. Dengingia were detailed as scout for patroling duty in Khalifapara area. As that pin-point information was received by the party commander that militants had fired towards Rainawari post area the police party immediately moved to the lanes to prevent the escape of the militants. Constables Sarguru and Degingio being scouts moved stealthly through the lanes and spotted two persons moving in a suspicious manner mingling with the crowd of woman and children, hiding their weapon sinside the 'Phoran' immediately the scouts passed on the information to the party commander who directed them not to fire as it may cause civilian casualities. S/Shri Sarguru and Degingia following the directions of the party commander knowing fully well that they were following the most dreaded and armed militants and utterly disregarding their personal safety chased the militants for about 200 yds. through narrow lanes, the vicinity of which was infested with armed militants. They finally succeeded in overpowering one of the militants armed with an AK-47 rifle with filled magazine of 24 rounds who was identified as Nazir Ahmed Shah, a notorious militant of 'UL-UMER GROUP'. In the entire chase the scouts maintained atmost restraint and did not fire even a single shot, yet succeeded. The DG Police J&K rewarded them with Rs. 2,500/- each on the same day.

In this incident S/Shri S. Sarguru, Constable and P. Degingia, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and Consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th Feburary, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 121-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Bijender Singh,
Constable, 6th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 12th December, 1990 on receipt of information that some armed militants were attacking the picketing parties of the Unit in area under Begiyas out-post of P.S. Safakadal, Unit Commander alongwith force including Constable Bijender Singh rushed to the pickets, cordoned the area and started search operations. In the meantime message was received that a large group of militants were attacking the Nawakadal post of the Unit. Immediately the Commandant alongwith a protection party including Constable Bijender Singh and few officers and men rushed to the spot. On the orders of the Commandant, Constable Bijender Singh took initiative, kept himself in the forefront and chased the militants. Constable Bijender Singh without caring for his personal safety chased the militant who were heavily armed and showering bullets on the chasing police party as they fled through the lanes. Seeing the determined Constable Singh chasing them without caring for his own life, militants were left with no alternative but to leave their magazine of AK-47 filled with 30 rounds and fled to save their lives. Hence a well planned attack of the militants was foiled. As the party was returning to their Unit another attack was reported and the Unit including Constable Bijender Singh rushed to the spot but were greeted with showers of bullets from different directions. The police party without caring for their personnel lives directed their attack from two sides with an intention to capture the militants. At this juncture while Constable Bijender Singh was changing his magazine of SLR he was unfortunately hit by a bullet from an AK-47 which passed through the muscular part of his chest. Even though being injured Constable Singh kept on firing, kept the militants at bay and saved the valuable lives of his men till he finally fell down unconscious. He was at once removed to 92 MH by his colleagues.

In this encounter Shri Bijender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12th December, 1990

A. K. UPADHYAY, Director

No. 122/Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Goverdhan Sahoo,
Constable, 43 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18th November, 1991 a raid and search operation of village Fatehpur was planned under Shri M. S. Sidhu, Commandant. After a thorough briefing, the parties left for village Fatehpur, reached there at about 0700 hours, laid a cordon of the village and sealed all possible escape routes. After checking the cordon, Shri Sidhu alongwith a Dy. S.P. of Punjab Police together with their escorts including Constable Shyam Kumar Bulkade and Constable Goverdhan Sahoo moved into the village for house to house search. As the search party entered the house of Lamberdar Kundan Singh and reached the courtyard, the extremists hiding in the rooms of the house opened heavy fire from AK-47 on the search party. Shri Sidhu without loosing his nerves ordered his men to take up positions and engaged the extremists with counter fire. Shri Goverdhan Sahoo and the Dy. S.P. had taken position behind a parapet wall around the kitchen in the courtyard. This position was most vulnerable as they were in front of the two rooms from where they came under direct fire. In the the course of the encounter one of the extremist came charging at Goverdhan Sahoo and the DSP. firing from his AK-47 rifile in a desperate attempt to break the cordon and escape but they miraculously escaped the extremist bullets. Constable Sahoo unmindful of the risk moved forward, fired at the charging extremist and shot him dead. In the meantime Shri Sidhu placed his men at strategic points including roof tops and asked the extremists to

surrender instead the extremists did not give heed to his directions and brought heavy fire on the police party from the rooms. While the exchange of fire was going on Shri Sidhu and Constable Shyam Kumar unmindful of the great risk crawled under heavy firing from extremists and took position behind a wall pillar after taking stock of the situation. They were spotted by the extremists hiding in the rooms and opened heavy firing on them. Shri Sidhu and Shri Shyam Kumar had a providential escape as the bullets missed them narrowly but undetered they crawled close to the room and sprayed bullets through the window on the extremists who were firing with automatic weapons and shot dead two extremists on the spot. The death of their two associates did not deter the extremists as they kept on firing at the police party. The Police party also kept engaged the extremists with counter fire. Shri Sidhu realising that the counter fire was not having the desired effect on the extremists he decided to move in bullet proof vehicles and fire inside the rooms through the windows from the roadside. Accordingly Shri Sidhu and Shri Shyam Kumar alongwith other police personnel fired inside the rooms but this also did not have the desired effect. Finally Shri Sidhu decided to drop hand grenades into the rooms by breaking roof. In all 14 grenades were thrown after breaking open the roof and ultimately this had the desired effect and the firing from the extremists stopped. After thorough search of the house four dead bodies of extremists were found and were identified as Nirvail Singh, Surinder Singh, Mastan Singh and Tajender Singh, all belonging to BTFK (Manochahal). Two AK-47 rifles one .315 bore rifle, one 12 bore DBBL gun, one 12 bore SBBL gun, one .32 bore revolver alongwith fired/live cartridges of AK-47 were also recovered from the dead.

In this encounter Shri Goverdhan Sahoo, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18th November, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 123-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Alfuddin. *(Posthumous)*
Constable, 58 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Nirmal Singh, *(Posthumous)*
Constable, 58 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration have been awarded :—

On the intervening night of 6th 7th May, 1991 as a part of special operations against terrorists, ambushes were laid at various places under P.S. Sadar, Amritsar. At about 2345 hours, four to five unidentified persons were seen approaching the ambush site on motorcycle. The ambush party challenged them to stop, signalling them with torch but these persons instead of heading to the police party opened indiscriminate fire on them with automatic weapons. The Commander of the ambush party immediately ordered his men to return the fire. The ambush party immediately ordered his men to return the fire. The ambush party including Constable Alfuddin and Constable Nirmal Singh immediately returned the fire, but the terrorists took a more advantageous position behind a high culvert of a canal and fired indiscriminately on them. In the cross fire Constable Alfuddin and Constable Nirmal Singh were seriously injured but despite being injuried they did not loose courage and without caring for their lives continued uninterrupted fire. The firing lasted for about an half hour after which it stopped. By that time, on getting information about the encounter Commandant 36 Bn., CRPF alongwith other officers and re-inforcement reached the spot. Constable Alfuddin and Constable Nirmal Singh later succumbed to their injuries. After a thorough search of the area, two dead bodies alongwith one AK-47 rifle, one modified .303 rifle, one .30 mousier, two stick grenades, one Hero Honda motorcycle, one Bajaj Chetak Scooter and large quantity of ammunition were recovered from the spot.

In this encounter S/Shri Alfuddin, Constable and Nirmal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from 7th May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 124-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri R. N. Ghosh,
Constable, 2nd Battalion,
Central Reserve Police Force

Statement of services for which the decoration have been awarded :—

On 10th September 1991 while Shri R.N. Ghosh was on duty with his OC at Islamia College in Down Town, Srinagar at about 1445 hours, militants fired on the picket with automatic weapons. Shri R.N. Ghosh, Constable spotted a group of militants escaping towards Shish Bagh area under PS Nowhatta. He immediately reported the matter to his OC and followed the militants in hot chase alonwith other members of his Coy. Shri Ghosh spotted a few militants with arms in the lanes of Shish Bagh area and he alongwith two of his companions chased the militants inside the lanes while another party under the OC chased the militants from the adjacent lane and tried to encircle them from other direction. The militants seeing the police party in hot chase opened heavy fire on Shri R.N. Ghosh and his party, but undertered Shri Ghosh, Constable led his party courageously and taking advantage of the available cover on the ground, without caring for their lives, advanced towards the militants. Shri Ghosh who was leading the party while advancing from one position to another was hit by a bullet of the militants in his abdomen, injuring him seriously. Inspite of the injury Shri Ghosh moved to a better position and fired on the militants and injured one of them seriously. Shri Ghosh directed heavy fire on the militants to prevent launching of fresh offensive by the militants, provided covering fire to his party to advance further, at the same time prevented the militants from making any attempts to remove the injured militants and kept them pinned down. This daring action and determination of Shri R.N. Ghosh, Constable even though seriously injured, held his ground, created panic amongst the other militants who took to their heals. The injured militant was identified as Ajur Ahmed Sofi, wanted in a number of cases who later died in military hospital. One AK-56 rifle, two AK-56 magazines and 30 rounds were recovered from Sofi.

In this encounter Shri R.N. Ghosh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10th September, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director.

LOK SABHA SECRETARIAT

(SUBJECT COMMITTEES BRANCH)

New Delhi-110 001, the 26th August 1992

No. 6/3(ii)/STC/92—Shri S. S. Ahluwalia, M.P. has been renominated to be the member of the Committee on Science and Technology (1991-92) with effect from 20th August, 1992 on his re-election to the Rajya Sabha.

2. Shri S. Jaipal Reddy, M.P. and Dr. Murli Manhor Joshi, M.P. have been nominated to be the members of the Committee on Science and Technology with effect from 20th August, 1992 vice Kumari Sayeeda Khatun and Dr. Raja Ramanna retired from the membership of the Rajya Sabha.

HARIPAL SINGH,
Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 17th August 1992

ORDER

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for R-28 (Bombay Offshore) area measuring 260.0 Sq. Kms.

No. O-12012/70/90-ONG.D.4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (herein after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 17-11-1990 for R-28 (Bombay offshore) area measuring 260.0 Sq. Kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 314/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time or all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :

(i) Rs. 8/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep, such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all time and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the from applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, current and magnatic data collected during, the drilling/exploration operations/survey to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

Geographical coordinates of Rs. 28 (Bombay Offshore) area measuring 260.0 Sq. Kms.

Point	Latitude	Longitude
G7	17° 46' 00"	72° 26' 24.6"
L	17° 46' 00'	72° 32' 47.0"
M	17° 35' 00"	72° 32' 47.0"
N	17° 35' 00"	72° 25' 22.0"
O	17° 45' 00"	72° 25' 22.0'
P	17° 45' 00"	72° 26' 30.8'

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas

Produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A.—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri_____do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

(Signature)
M. MARTIN, Desk Officer.

ORDER

SUBJECT.—*Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for R-74 (Bombay Offshore) area measuring* 120.0 *sq. kms.*

No. O-12012/71/90-ONG. D. 4.—In exercise of the power conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (herein after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 17-11-1990 for R-74 (Bombay offshore) area measuring 120.0 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 314/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the Licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

(i) Rs. 8 - for the first year of the licence;

(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SCHEDULE 'A'

Georgaphical Co-ordinates of R-74 (Bombay offshore) area measuring (120·0 sq. Km.)

Point	Latitude	Longitude
A'	17° 50' 00"	72° 18' 56.17"
G3	17° 50' 00"	72° 26' 00.00"
B'	17° 45' 00"	72° 26' 30.84"
C'	17° 45' 00"	72° 18' 56.17"

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas
Produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A.—Crude Oil

Total No. of Metric tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri----------do hereby solemnly and sincerely declare, and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

.....
(Signature)
M. MARTIN, Desk Officer

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 26th August 1992

RESOLUTION

No. 4-23/84-MY. (I&B)-Vol.II.—In continuation of Department of Agriculture & Cooperation's Resolution of even number dated the 1st November, 1990, the Government of India also appoints Shri Gopal Singh Khandela., MLA, Village Khandela, District Sikar, Rajasthan, in the category of non-official members on the Central Agricultural Machinery and Implements Development Council. He is appointed for a period of 3 years from the date of issue of this order.

2. Payment of TA & DA (including conveyance allowance) to Shri Khandela will be regulated under the TA rules of the State Government and he will be treated as First Grade Officer for this purpose *during non-session* of the State Legislature; and *during the session* of the State Legislature, he will be governed by Payment of Salaries and Allowances and Removal of Disqualification Acts. He will not draw TA & DA (including conveyance allowance) which may disqualify him from the State Legislature.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories and the Department of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MALTI S. SINHA,
Jt. Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th August 1992

RESOLUTION

No. 16018/2/91-M. II.—A High Power Committee was set up to review the present State Market Acts and working of various agricultural marketing bodies and to recommend appropriate measures for streamlining and strengthening of the set up for marketing of agricultural produce. The Committee was to submit its report within a period of three months i.e. by 14th June, 1992. The term of the Committee was further extended upto 14th August, 1992 vide resolution of even number dated the 18th June, 1992.

The Committee has examined various issues relating to Agricultural Marketing as enumerated in its terms of reference, but it could not submit its final report within the stipulated period.

It has, therefore, been decided that the tenure of the Committee be extended for a further period of one month i.e., upto 13th September, 1992.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

PURSHOTAM LAL,
Dy. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 26th August 1992

No. F. 10-5/92-U.5.—Under Rules 3 & 6 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the Government of India has nominated the following Social Scientists as Members of the Council with immediate effect upto the period indicated against each :—

1. Prof. C. T. Kurien, Formerly Director, Madras Institute of Development Studies, Madras, 79, Second Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Madras-600020.	31st March, 1995
2. Prof. Andre Beteille, Department of Sociology, University of Delhi, Delhi-110007	31st March, 1995
3. Dr. M. Zuberi, Centre for International Politics, Jawaharlal Nehru University, New Mehrauli Road, New Delhi-110 067.	31st March, 1995
4. Shri Randhir Singh, Professor of Political Theory (Retd.), University of Delhi, 52, Hemkunt Colony, New Delhi-110048.	31st March, 1995
5. Prof. Indra Dev, Head, Department of Sociology, Ravishankar University, Raipur (M.P.)-492010.	31st March, 1995
6. Prof. Arun Ghosh, Former Member, Planning Commission, 78, SFS, Munirika Enclave, New Delhi-110067.	31st March, 1995
7. Dr. R C Sharma, Director General, National Museum, Janpath, New Delhi-110011.	31st March, 1993

SARATCHANDRAN,
Assistant Educational Adviser

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110003, the 26th August 1992

RESOLUTION

No. 11015(6)/89-Hindi—In partial modification of the erstwhile Ministry of Energy (Deptt. of NES) resolution No. 11015(6)/89-Hindi dated the 8th Nov. 1990 read with the erstwhile Deptt. of NES resolution of even number dated the 16th April, 1992, the existing entry against S. No. 10 in the composition of the Hindi Salahkar Samiti therein is hereby substituted with the following :—

"10. Shri V. Sashan, 341, DDA MSF, Hauz Khas, New Delhi-110016.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Govts. and Union Territory Administrations, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, Planning Commission, and all the Ministries/Departments of the Govt. of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. K. JOSHI,
Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 25th August 1992

No. Q-16012/2/89-ESA(WE)(.).—In pursuance of Rule. 3(vi) of the Rules & Regulations of the Central Board for Workers' Education the Government of India hereby appoint the Secretary to the Government of Goa (Labour Department) as a member of the Central Board for Workers Education in place of Secretary to the Government of Karnataka (Labour Department) for a period of two years from the date of issue of this Notification :—

2. The following changes shall, accordingly, be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/2/89-ESA (WE) dated the 25th June, 1990, published in the Gazette of India Part-I Section-I, as amended from time to time :—

For the existing entry, viz :—

"6. Secretary to the Government of Karnataka, Department of Social Welfare & Labour, Bangalore, Karnataka.

the following entry shall be substituted viz :—

"Secretary to the Govt. of Goa,
Department of Labour,
Secretariat Annexe,
EDC House, Panaji, Goa.

LALFAK ZUALA, Jt. Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1992.